झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
तृतीय (मानसून) सत्र
वर्ग-04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न,गुरुवार,दिनांकः 05 भाद्रपद, 1937(श0) को 27 अगस्त, 2015(ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगेः-

क्रमांक	विभागों को संसुचित की गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
118	-ज-10	श्री नागेन्द्र महतो	डैम एवं चैनलों का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	19.08.15
119	-ज-13	श्री विदेश सिंह	कैनाल का निर्माण।	जल संसाधन	19.08.15
120	-मस-04	श्री आलमगीर आलम	कुपोषण दूर करना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा।	20.08.15
121	-जा-08	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	ट्रांसफरमर बदलना।	ऊर्जा	14.08.15
122	-ज-02	श्रीमती जोबा मांझी	नहर का निर्माण।	जल संसाधन	14.08.15
123	-जा-04	श्री अशोक कुमार	ग्रामीण दर पर भुगतान।	ऊर्जा	14.08.15
124	-ज-06	श्री फूलचन्द मंडल	तालाब का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	17.08.15
125	-क-05	डॉ0 इरफान अंसारी	दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई।	कल्याण	19.08.15
126	-ज-14	श्री ताला मराण्डी	चेक डैम का निर्माण।	जल संसाधन	19.08.15
127	-ज-04	श्री राम कुमार पाहन	तालाब का जीर्णोद्धार	जल संसाधन	19.08.15
128	-ज-03	श्री आलोक कुमार चौरसिया	कैनाल की मरम्मति।	जल संसाधन	14.08.15
129	-जा-17	श्री विदेश सिंह	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	19.08.15
130	-कृस-02	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	एको पार्क का निर्माण।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	14.08.15
131	-जा-06	श्री अशोक कुमार	विद्युत तार बदलना।	ऊर्जा	14.08.15

01	02	03	04	05	06
U32-क-07		डॉ0 इरफान अंसारी	दोषी के खिलाफ कार्रवाई।	कल्याण	19.08.15
U33-क-14		डॉ0 अनिल मुरमू	सीधी नियुक्ति।	कल्याण	20.08.15
U34-जा-14		श्री ढुलू महतो	नया ट्रांसफरमर लगना।	ऊर्जा	19.08.15
U35-ज-16		श्रीमती सीता सोरेन	सिंचाई की सुविधा।	जल संसाधन	19.08.15
U36-जा-15	श्री	जय प्रकाश भाई पटेल	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	19.08.15
U37-जा-21		श्री कुणाल षाड़गी	सबस्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	20.08.15
U38-ज-17		श्री निरल पुरती	सिंचाई की सुविधा।	जल संसाधन	20.08.15
U39-कृस-01		श्री रवीन्द्र नाथ महतो	पशु चिकित्सकों का पदस्थापन।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	14.08.15
U40-कृस-07		श्री रामचन्द्र सहिस	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	17.08.15
U41-जा-12	श्री	अनन्त कुमार ओझा	सबस्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	19.08.15
U42-जा-22		श्री नलिन सोरेन	ट्रांसफरमर बदलना।	ऊर्जा	20.08.15
U43-क-12		श्री केदार हजरा	आयोग की बैठक बुलाना।	कल्याण	19.08.15
U44-क-03		श्री दशरथ गागराई	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	कल्याण	14.08.15
U45- ज-11		श्री शशिभूषण समाड़	नहर का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	19.08.15
U46- कृस-06		श्री अमित कुमार	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	17.08.15
U47- क-09		श्री निरल पुरती	छात्रावास भवन का निर्माण।	कल्याण	19.08.15
U48-मस-03	श्री	कुशवाहा शिवपूजन मेहता	भवन का निर्माण।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	19.08.15
U49- कृस-10		श्री रघुनन्दन मण्डल	कृषि पदाधिकारी का पदस्थापन।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	19.08.15
U50- ज-21		प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	सिंचाई की सुविधा।	जल संसाधन	21.08.15
U51- ज-12		श्री अनन्त कुमार ओझा	डीप बोरिंग कराना।	जल संसाधन	19.08.15
U52- ज-08		श्री अमित कुमार	जलाशय का निर्माण।	जल संसाधन	19.08.15
U53- जा-05		श्री योगेश्वर महतो	विद्युत आपूर्ति कराना।	ऊर्जा	14.08.15
U54- क-10		श्री बादल	योजना मद की राशि में वृद्धि।	कल्याण	19.08.15
U55- कृस-03	श्री	जय प्रकाश सिंह भोगता	अनियमितता की जाँच।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	14.08.15

01.	02.	03.	04.	05.	06.
156-	कृस-05	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	संवेदक पर कार्रवाई।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	17.08.15
157-	ज-01	श्री जगरनाथ महतो	लिफ्ट एरिगेशन को चालू कराना।	जल संसाधन	14.08.15
158-	क-15	श्री हरिकृष्ण सिंह	छात्रवृति का भुगतान।	कल्याण	20.08.15
159-	ज-22	श्रीमती गीता कोड़ा	तटबंध का निर्माण।	जल संसाधन	21.08.15
160-	ज-19	श्री नारायण दास	समुचित लाभ दिलाना।	जल संसाधन	20.08.15
161-	जा-01	श्री रामकुमार पाहन	विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराना।	ऊर्जा	14.08.15
162-	जा-18	श्री रघुनन्दन मण्डल	सामग्री उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	19.08.15
163-	मस-02	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	डायन प्रथा का उन्मूलन।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	17.08.15
164-	जा-20	श्री मनीष जायसवाल	दोषी अभियंताओं पर कार्रवाई।	ऊर्जा	20.08.15
165-	खा-04	डॉ0 अनिल मुरमू	मानदेय बढ़ाना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	21.08.15
166-	जा-07	श्री आलोक कु0 चौरसिया	पावर-ग्रीड का निर्माण।	ऊर्जा	14.08.15
167-	जा-02	श्री प्रदीप यादव	सेवा स्थायी करना।	ऊर्जा	14.08.15
168-	मस-01	श्रीमती विमला प्रधान	योजना का आरम्भ।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	14.08.15
169-	क-04	श्री फूलचन्द मंडल	कब्रिस्तान की घेराबंदी।	कल्याण	17.08.15
170-	ज-05	श्रीमती निर्मला देवी	सिंचाई की व्यवस्था।	जल संसाधन	17.08.15
171-	क-13	श्री नारायण दास	विद्यालय का जीर्णोद्धार।	कल्याण	20.08.15
172-	ज-18	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	उद्वह सिंचाई योजना चालू करवाना।	जल संसाधन	20.08.15
173-	क-02	श्रीमती जोबा मांझी	रसोईयों को मानदेय देना।	कल्याण।	14.08.15
174-	मस-05	श्री आलमगीर आलम	वृद्धा एवं विधवा पेंशन का भुगतान।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	20.08.15
175-	कृस-08	श्री दिरंची नारायण	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	17.08.15
176-	जा-10	श्री रामचन्द्र सहिस	सब-स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	17.08.15
177-	ज-15	श्री राजकुमार यादव	गार्डवाल का निर्माण।	जल संसाधन	19.08.15
178-	क-18	श्री मनोज कुमार यादव	त्रुटि सुधारना।	कल्याण।	21.08.15

कृ0पृ030../

01.	02.	03.	04.	05.	06.
179-	ज-07	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	दोषियों पर कार्रवाई।	जल संसाधन	19.08.15
180-	जा-16	श्री नागेन्द्र महतो	तार एवं पोल लगाना।	ऊर्जा	19.08.15
181-	क-17	श्री अरूप चटर्जी	समुचित कार्रवाई।	कल्याण	21.08.15
182-	जा-19	श्री राजकुमार यादव	पावर-ग्रिड का निर्माण।	ऊर्जा	19.08.15
183-	खा-02	श्री बिरंची नारायण	कांटा-बांट की जाँच।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	17.08.15
184-	खा-01	श्रीमती मेनका सरदार	ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर पर कार्रवाई।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	14.08.15
185-	जा-11	श्री गणेश गंझू	सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।	ऊर्जा	19.08.15
186-	कृस-04	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	बीमा राशि का भुगतान।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	17.08.15
187-	क-08	श्री ताला मराण्डी	दोषियों पर कार्रवाई।	कल्याण	19.08.15
188-	ज-09	श्री साधु चरण महतो	मुआवजा का भुगतान।	जल संसाधन	19.08.15
189-	जा-25	श्रीमती गीता कोड़ा	ग्रामों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	21.08.15
190-	जा-03	श्री जगरनाथ महतो	पोल-तार बदलना।	ऊर्जा	14.08.15
191-	ज-20	श्री नलिन सोरेन	नहड़ का पक्कीकरण।	जल संसाधन	20.08.15
192-	कृस-09	श्री साधु चरण महतो	शीतगृह का निर्माण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	19.08.15
193-	जा-09	प्रो० जय प्रकाश वर्मा	स्टोरेज की व्यवस्था।	ऊर्जा	14.08.15
194-	जा-13	श्री अरूप चटर्जी	कार्य प्रारम्भ कराना।	ऊर्जा	19.08.15
195-	क-01	श्री राधाकृष्ण किशोर	पेंशन का भुगतान।	कल्याण।	14.08.15
196-	खा-03	श्री हरिकृष्ण सिंह	डीलर पर कार्रवाई।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	17.08.15
197-	जा-23	श्री राज सिन्हा	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	ऊर्जा	20.08.15
198-	क-06	श्री कुलू महतो	छात्रवृत्ति राशि का भुगतान।	कल्याण	19.08.15
199-	क-16	श्री विकास कुमार मुंडा	कोल्ड-स्टोरेज चालू कराना।	कल्याण	21.08.15
200-	जा-24	श्री विकास कुमार मुंडा	पावर-ग्रिड चालू कराना।	ऊर्जा	21.08.15
201-	क-11	श्री केदार हाजरा	छात्रावास का निर्माण।	कल्याण	19.08.15

रॉंची
दिनांक :-27अगस्त,2015ई०।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-06/2015-2462/वि0स0,राँची,दिनांक-24 अगस्त,2015ई0।

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15

(गुरूचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-06/2015-2462/वि0स0,राँची,दिनांक-24 अगस्त,2015ई0।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

24.8.15

(गुरूचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

240815

PRAVEEN

(118)

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ज०–10 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखंड स्थित अलगडीहा पंचायत में बालक डैम का विगत 10 वर्षों से जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण मिट्टी भर गया है एंव सिंचाई हेतु पर्याप्त जल का उक्त डैम में जमाव नहीं हो रहा है :	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित डैम का जल निकास द्वार एवं जल निकास चैनल भर गया है, जिस कारण चैनलों से जल का निकासी नहीं हो रहा है :	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित डैम एंव चैनलों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	योजना का सर्वेक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार कर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुये जिर्णोद्धार का कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0संवि0/ 20–तारां0–88/2015 4585 राँची, दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2287, दिनांक–19.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव(अभि.) 26/8/2015
जल संसाधन विभाग, राँची

(119)

श्री विदेश सिंह, स.वि.स. द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज–13 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के लेस्लीगंज प्रखण्ड में मलय डैम का नहर का पानी ग्राम–लेस्लीगंज, कठौन्दा, गोपालगंज, पथरही, झरकटिया इत्यादि ग्रामों में नहर का कैनाल क्षतिग्रस्त रहने के कारण पानी अन्यत्र बह जाता है ;	मलय मुख्य नहर से निसृत लेस्लीगंज शाखा नहर एवं धांगर वितरणी के किनारे विष्यांकित ग्राम अवस्थित है। नहर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति करा कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि नहर का कैनाल ठीक नहीं रहने के कारण किसानों को खेतों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक उपरोक्त ग्रामों में क्षतिग्रस्त नहर के कैनाल को मरम्मति/निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	मलय मुख्य नहर, शाखा नहर एवं वितरणियों के पुनर्स्थापन/ERM हेतु सर्वेक्षण करा लिया गया है एवं DPR तैयार किया जा रहा है। DPR तैयार होने के बाद क्षेत्रीय संतुलन एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :–6/ज0स0वि0–20–ता०–91/2015 4581 /राँची, दिनांक– 28-8-15

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–2291 दिनांक–19.08.2015 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–I जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुन्ना साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

120

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–म0स0–04 का उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 56 फीसदी बच्चे कुपोषण से ग्रस्त है, जिसमें पाँच लाख बच्चे अति कुपोषित है;	आंशिक रुप में स्वीकारात्मक। वर्ष 2005–06 National Family Health Survey द्वारा तैयार डाटा के अनुसार 0–3 वर्ष के बच्चों में 59.2% कुपोषण से ग्रसित थे। अतिकुपोषित बच्चों का आँकड़ा इस सर्वेक्षण में अंकित नहीं है। अप्रैल 2015 में वजन पखवाड़ा में एकत्रित डाटा के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र में कुल 34,26,068 बच्चे–बच्चियों नामांकित थे। जिसमें 3008904 बच्चों का वजन किया गया। इस आधार पर 6,87,456 (22.84%) बच्चें कुपोषित एवं 41600 (1.38%) बच्चे अति कुपोषित पाये गये।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कुपोषण दूर करने के उपायों को लागू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नही तो क्यों ?	अतिकुपोषित बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर से अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अति कुपोषित बच्चों का M.U.A.C TAPE से बाँह माप लिया जाता है एवं तदनुसार अति कुपोषित बच्चों को मापदण्ड के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न चयनित सरकारी अस्पतालों में अवस्थित कुपोषण उपचार केन्द्रों (M.T.C.) में उपचार हेतु भेजा जाता है। 1 अप्रैल 2014 से अबतक कुल 9881 बच्चों का इन केन्द्रों (M.T.C.) में उपचार किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – म० स0/ता0 प्र0 – 431/2015– 1912 राँची, दिनांक 28/8/ 2015

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2372/वि० स० दिनांक – 20.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/8/15

(शिवजी चौपाल)
सरकार के अपर सचिव।

(121)

श्री रबीन्द्रनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०-08 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रबीन्द्रनाथ महतो, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिलान्तर्गत नाला विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत फतेहपुर, नाला एवं कुण्डहित प्रखण्ड में विगत कई वर्षों से बिजली का तार, पोल जर्जर अवस्था में है तथा कई जगह का ट्रांसफार्मर जला पड़ा हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है ।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों का तार, पोल तथा ट्रांसफार्मर बदलवाने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जर्जर पोल एवं तार को बदलने के लिए प्राक्कलन स्वीकृत है। नाला विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड नाला, फतेहपुर एवं कुण्डहित के अन्तर्गत जर्जर पोल एवं तार को इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में बदल दिये जाने का लक्ष्य है एवं जले हुए ट्रांसफार्मर को प्राथमिकता एवं उपलब्धता के आधार पर बदला जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2190 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

(122)

श्रीमती जोबा माँझी, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ज०–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत सोनुवा प्रखण्ड के पनसुवा डैम विगत 32 सालों से निर्माणाधीन है.	अस्वीकारात्मक। पनसुवा उर्फ सोनुआ डैम पूर्णरूपेण निर्मित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त डैम का नहर अब तक अधूरा है.	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बाँयी मुख्य नहर 17 किलोमीटर तक बनकर तैयार है।
3.	क्या यह बात सही है कि इसके अन्तर्गत कई गाँव विस्थापित होने के बाद भी अब 10 एकड़ जमीन पर पटवन का काम नहीं हो रहा है.	सोनुआ बाँये मुख्य नहर के 17 किलोमीटर तक पानी पहुँचाने हेतु Trial run किया जा रहा है। शीघ्र हीं इससे लगभग 2000 एकड़ में सिंचाई सुविधा दी जा सकेगी। योजना के दाँयी मुख्य नहर में 0.00 से 2.00 कि०मी० तक सिंचाई सुविधा दी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में नहर निर्माण का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दोनों नहरों को मार्च 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–79/2015 – 4547 /राँची, दिनांक 24-8-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2068 दि०स० दिनांक 14.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशासी पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(123)

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला

तारांकित प्रश्न संख्या जा०–04 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अशोक कुमार, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के ठाकुरगंगटी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम–मिश्रगंगटी को सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है और न ही यह प्रखण्ड मुख्यालय है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। मिश्रगंगटी प्रखण्ड मुख्यालय ठाकुरगंगटी से 0.5 KM के अन्तर्गत है।
2. क्या यह बात सही है कि ग्राम–मिश्रगंगटी के विद्युत उपभोक्ताओं से शहरी क्षेत्र की दर पर विद्युत विपत्र का भुगतान लिया जा रहा जो विभाग की मनमानी का परिचायक है;	स्वीकारात्मक है। ग्राम मिश्रगंगटी प्रखण्ड मुख्यालय से निकटवर्ती है जिसके चलते झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित Tariff Schedule के अन्तर्गत इस क्षेत्र का वर्गीकरण उप शहरी क्षेत्र के रूप में किया गया है एवं तद्नुसार नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत टैरिफ के अनुसार विपत्रीकरण किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ग्राम–मिश्रगंगटी के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली विपत्र में संशोधन कर ग्रामीण दर पर भुगतान लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित वर्गीकरण एवं स्वीकृत टैरिफ के अनुसार विपत्रीकरण किया जा रहा है। अतः इसमें संशोधन करना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2223 / दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.15

सरकार के उप सचिव

(124)

श्री फूलचंद मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं०-ज०-06 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गोविन्दपुर प्रखंड उपर अंकुरा में पेंड्रा बांध (कुल रकबा 5 एकड़), चुटियारों बड़ा तालाब (कुल रकबा 32 एकड़) एंव खड़काबाद बाउरी टोला स्थित बड़ा तालाब (कुल रकबा 6 एकड़) के जीर्णोद्धार होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को सैकड़ो एकड़ कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधा मुहैया हो पायेगी ?	स्वीकारात्मक
2	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार खंड–1 में वर्णित सभी सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	1 उपर अंकुरा में पेण्ड्रा बांध के जीर्णोद्धार का कार्य केन्द्र प्रायोजित RRR योजना के अन्तर्गत चयनित है तथा इसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदत्त है। केन्द्रांश प्राप्त होने के पश्चात् इस योजना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। 2 चुटियारा बड़ा तालाब के जीर्णोद्धार के कार्य के प्राक्कलन की जांच चल रही है। क्षेत्रीय संतुलन एवं बजट उपबंध को देखते हुए कार्य कराया जा सकेगा। 3 खड़काबांध बाउरी टोला स्थित बड़ा तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य केन्द्र प्रायोजित RRR योजना के तहत चयनित है तथा इसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदत्त है। केन्द्रांश प्राप्त होने के पश्चात् इस योजना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0संवि0/ 20–तारांकित–63/15 4541 राँची, दिनांक– 24-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–, दिनांक– के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15
उप सचिव(अभि.)
जल संसाधन विभाग, राँची

(125)

श्री इरफान अंसारी, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पुछेजानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–क–05 की उत्तर सामग्री–

क्र0	तारांकित प्रश्न संख्या–क–05	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला में मेसो से मिलने वाले अनुदान के रूप में दुधारू गाय, बकरी, अच्छे नस्ल के सुअर एवं अन्य खेती सामग्री वर्ष 2011–2012, 2012–2013 और 2013–2014 में वितरण में भारी अनियमताएँ बरती गई है	अस्वीकारात्मक। परियोजना निदेशक, आई0 टी0 डी0 ए0, जामताड़ा के पत्रांक–73 दिनांक–18.04.2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रोटोटाईप फेज–4 के तहत पी0आई0 सी0 की बैठक में चयनित गैर सरकारी संस्था–सरल इन्टरनेशनल धनबाद द्वारा आदिवासी लाभुक समूहों के बीच कृषि कार्य हेतु 08 एच0 पी0 एवं 04 एच0 पी0 का डीजल मोटर पम्प सेट का वितरण सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रोटोटाईप फेज–5 के तहत पी0आई0 सी0 की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरा–बकरी एवं छोटे पैर वाले क्रास ब्रीड नस्ल की दुधारू गायों का वितरण किया गया है। गैर सरकारी संस्था–सरल इन्टरनेशनल धनबाद द्वारा आदिवासी लाभुक समूहों के बीच कृषि कार्य हेतु 08 एच0 पी0 एवं 04 एच0 पी0 का डीजल मोटर पम्प सेट का वितरण सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर किया गया है
2	क्या यह बात सही है कि अच्छे नस्ल के गाय न देकर घटीया और निम्न नस्ल की गाय एवं बकरी का वितरण किया गया है	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जाँच करा कर दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यो	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–07/वि0स0प्र0–05/2015 2647 राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप स0–2283 दिनांक–19.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8/15
(प्रदीप कुमार ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

126

श्री ताला मरांडी, माननीय स0वि0स0 द्वारा द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज0–14 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान–सभा क्षेत्र अंतर्गत गोड्डा जिला के बोआरीजोर प्रखंड, साहेबगंज जिला के बोरियो, भण्डरो तथा तालझारी प्रखंड के लगभग 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते है :	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि, उक्त क्षेत्रा के कृषक सिंचाई के लिए केवल बरसात के पानी पर ही निर्भर करते है :	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि, उक्त क्षेत्रो मे क्रमशः हररखा (क) विशुनपुर नदी, (ख) मेगी अबरा नदी, (ग) बीजपुरा नदी, (घ) गोसाईचक (कनाडीह) नदी, (ङ) रोड़ो नदी, बोहनी चोपड़ नदी (इसीगंज) सिंचाई के लिए चेकडैम के निर्माण से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है :	1. गोसाईचक (कनाडीह) नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण स्थल चेकडैम के लिए उपयुक्त नहीं है। 2. हररखा, विशुनपुर नदी, मेगी अबरा नदी एवं बीजपुरा नदी में सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी सम्भाव्यता पाये जाने पर लाभ–लागत अनुपात, बजटीय उपबंध एवं निधि की उपलब्धता को देखते हुए कार्य कराया जा सकेगा।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त नदियों पर चेकडैम एवं सिरिज चेकडैम का निर्माण कृषकों के व्यापक हित में कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0सं0वि0/20–तारांकित–92/2015 4577 राँची, दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2292, दिनांक–19.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/8/15
उप सचिव(अभि.)
जल संसाधन विभाग, राँची

127

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 27.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-04 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखंड के ओरमांझी गांव में अवस्थित लगभग 3.5 एकड़ में फैले तालाब का जीर्णोद्वार होने से आस-पास के कृषक ग्रामीणों को सिंचाई सहित अन्य लाभ प्राप्त होगा ?	स्वीकारात्मक
2	यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गाँव में स्थित तालाब का जीर्णोद्वार अविलम्ब कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	ओरमांझी गांव में अवस्थित तालाब के जीर्णोद्वार कार्य के DPR की जांच की जा रही है। बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज०सं०वि०/20-तारांकित-81/2015 4542 राँची, दिनांक- 24-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-, दिनांक- के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15
उप सचिव(अभि.)
जल संसाधन विभाग, राँची

(128)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या ज०–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड, पंचायत चाँदो के परसा खाड़ नाला को बाँधकर बुटनडुबा जलाशय में जोड़ देने से पानी का श्रोत बढ़ जायेगा, जिससे चाँदो अवसाने, डुब्बा तथा अन्य गाँवों तक बने कैनाल जो क्षतिग्रस्त हो गये है की मरम्मति कर देने से हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो जायेगी,	परसा खाड़ नाला का लेवल बुटनडुबा जलाशय के लेवल से काफी नीचे है। परसा खाड़ नाला से जलाशय की दूरी लगभग 6400 फीट (1.95 कि०मी०) है। दोनों के बीच में वनों एवं पहाड़ियों की बहुतायत है। अतः उक्त नाला से जलाशय में पानी को ले जाना economically viable नहीं होगा। नहरों के क्षतिग्रस्त भाग की तत्काल मरम्मति कर सिंचाई कार्य कराया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त गाँव तक कृषि उपयोग हेतु खराब पड़े कैनाल की मरम्मति करा कर पानी पहुँचाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बुटनडुबा जलाशय योजना के ई०आर०एम० कार्य का डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है। बजट उपबंध तथा राशि की उपलब्धता के आधार पर आगामी वर्षों से इस योजना को स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–80/2015 – 4545 /राँची, दिनांक 24-8-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2067 वि०स० दिनांक 14.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(129)

श्री विदेश सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित

प्रश्न संख्या जा०–17 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विदेश सिंह, माननीय स.वि. स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पांकी, मनातू, तरहसी एवं लेस्लीगंज प्रखण्ड में राजीव गाँधी विद्युतीकरण कार्य अन्तर्गत कहीं–कहीं तार एवं खंभे नहीं लगे है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में अनुसूचित जाति, जनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अधिक निवास करते है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि विद्युत के अभाव में उक्त प्रखण्ड के लोगों को काफी असुविधा हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिन ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है वहाँ लेस्लीगंज, पांकी एवं पदमा में निर्मित नये विद्युत उपकेन्द्र से समुचित विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में समुचित विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू जिला के गाँवों का विद्युतीकरण का कार्य राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की 10वीं योजना के अन्तर्गत लिया गया है एवं इसका कार्य M/s IVRCL द्वारा कार्य अचानक बंद कर दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए कम्पनी का बैंक गारंटी 132 करोड़ रूपये बिजली बोर्ड के द्वारा जब्त कर लिया गया है। M/s IVRCL ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर किया गया, जिसे माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया है जो वर्त्तमान में झारखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। वर्त्तमान में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 द्वारा छोड़े गए कार्यों को विभागीय स्तर से कराने हेतु REC, New Delhi से स्वीकृति हेतु आग्रह किया जा रहा है। केन्द्र प्रायोजित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत पलामू जिले के ऐसे गाँव, टोलों जो M/s IVRCL के कार्यादेश में शामिल नहीं है। उन सभी गाँवों/टोलों का DPR ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। जिसे दिनांक 06.08.2015 की बैठक में ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2203 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15
सरकार के उप सचिव

(130)

माननीय स0वि0स0, श्री जय प्रकाश सिंह भोगता के द्वारा दिनांक-27.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृस-02 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाता:- माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

क्या मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या बात सही है कि चतरा जिला अंतर्गत प्रखण्ड सदर चतरा के तपेज में कृषि एमरो पार्क कई वर्षों से अधूरा पड़ा है;	स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एमरो पार्क निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चतरा जिला के तपेज में हॉर्टिट्रिज्म संस्थान का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाना था। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2008-09 तक कुल रू0 450.00 लाख राशि का व्यय किया गया है। इस संदर्भ में निदेशक उद्यान से हॉर्टिट्रिज्म पार्क के अद्यतन भौतिक/वित्तीय स्थिति एवं योजना का पुर्नआकलन कराते हुए योजना का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0प्र0-56/2015- 3204 कृ0,राँची,दिनांक-22-08-15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-2083 दिनांक-14.08.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/15

(विजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0प्र0-56/2015- 3204 कृ0,राँची,दिनांक-22-08-15

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/15

सरकार के संयुक्त सचिव

131

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला

तारांकित प्रश्न संख्या जा०–06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अशोक कुमार, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखण्ड के नुनाजोर मोड़ से साहपुरबेलडीहा तथा मेहरमा प्रखण्ड में पिरोजपुर से दिग्धी तक एवं बेलबड्डा से मधुरा तक 11000 के0वी0 का तार जर्जर होने के कारण बार–बार टूटकर गिरते रहने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती रहती है एवं जान–माल का भी खतरा होता है;	स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थानों का जर्जर तार बदलवाने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्णित लाईन का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है तथा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में जर्जर तार को बदलने का लक्ष्य निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2193 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

(132)

श्री डा0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–07 का उत्तर सामग्री।

डा0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत मधुपुर, करौं मारगोमुण्डा, देवीपुर, सारवाँ और मोहनपुर प्रखण्डों में वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 में छात्रवृति बांटने में भारी गड़बड़ियाँ एवं अनियमितताएँ हुई है, गरीब बच्चे–बच्चियों का सिर्फ कागज पर ही छात्रवृति का भुगतान हो गया है ;	अस्वीकारात्मक। जिला कल्याण पदाधिकारी, देवघर के पत्रांक–400 दिनांक–21.03.15 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मामले की सम्पूर्ण जाँच संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से करायी गयी है। किसी भी प्रखण्ड से छात्रवृति वितरण में अनियमितता का मामला प्रकाश में नहीं आया है।
2	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या विभाग राज्यस्तरीय कमिटि बनाकर इसकी जाँच कर दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कण्डिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट भी कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–4 / वि0स0प्र0(ता0)N–03 / 2015 2649 राँची, दिनांक:– 24/8/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2280 दिनांक–19.08.15 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8/15

(शुभा अखौरी)
सरकार के उप सचिव।

(133)

श्री ...0 अनिल मुरमू, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांति प्रश्न संख्या–क–14 की उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग के संकल्प संख्या–2162, दिनांक–03.09.2009 एवं 1214, दिनांक–30.05.2014 में आदिम जनजाति के वर्ष 2008 के मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण युवक/युवतियों को जिला स्तरीय चतुर्थ वर्ग के पदों पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग के पत्रांक–03/आदिम जन सी0 नियुक्ति–32/2014 क0 3214, दिनांक–03.12.14 को खूँटी/पाकुड़/साहेबगंज को संबोधित है, में सीधी नियुक्ति हेतु समुचित कार्रवाई करने का निदेश है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आदिम जनजाति के कल्याणार्थ जिला स्तरीय चतुर्थ वर्ग के पदों पर खूँटी/पाकुड़/साहेबगंज के युवक/युवतियों की सीधी नियुक्ति का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	खूँटी जिले से एक मात्र 2011 में मैट्रिक उत्तीर्ण आदिम जनजाति की आवेदिका का आवेदन प्राप्त है एवं जिला स्थापना समिति द्वारा 2008 तक मैट्रिक उत्तीर्ण करने की बाध्यता को क्षांत करने का अनुरोध किया गया है। पाकुड़– कुल सात पदों के विरुद्ध 198 आवेदन प्राप्त है। साहेबगंज– कुल आठ उपलब्ध पदों के विरुद्ध 228 आवेदन प्राप्त हुए हैं । समाहरणालय एवं जिला स्तरीय चतुर्थ वर्ग एवं समकक्ष पदों के रिक्त स्थान से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण किन पदों पर इनकी नियुक्ति की जायेगी इस पर मामला विभाग में विचाराधीन है।

24.8.15

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–3/वि0स0प्र0–03/2015 2663 राँची, दिनांक:– 24/8/15

प्रतिलिपि:– सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2370 दिनांक 20.08.15 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार) 24/8/15
सरकार के उप सचिव।

(134)

श्री ढुलू महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला

तारांकित प्रश्न संख्या जा०-14 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री ढुलू महतो, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधान-सभा क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामों में वर्षों पुराने ट्रांसफार्मर, तार, पोल द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि इन क्षेत्रों में उपभोक्ता की संख्या में काफी वृद्धि होने के बाद भी ट्रांसफार्मर की क्षमता में अधिकांश क्षेत्रों में बढ़ोतरी नहीं की गई;	अस्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि जर्जर तार-पोल व ट्रांसफार्मर से आए दिन दुर्घटना होती रहती है साथ ही कम क्षमता के ट्रांसफार्मर के कारण सही ढंग से उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार क्षेत्र के जर्जर तार-पोल बदलने तथा क्षमता के अनुरूप नए ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बाघमारा क्षेत्र में 667 ट्रांसफार्मर लगे हुए है तथा 380 Km 11 KV लाईन एवं 475 Km LT लाईन है जहाँ सबसे ज्यादा जर्जर पोल एवं तार है वहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर (विद्युत सामग्री की उपलब्धता के आधार पर) कार्य किया जा रहा है तथा छः माह में कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2197 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

(135)

श्रीमती सीता सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज0–16 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिले के जामा प्रखंड में कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नही है :	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, जामा प्रखंड के अंतर्गत फारासिमल मांचाडीह जलश्रोत विद्यमान है:	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फारासिमल मांचाडीह जलश्रोत से कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहती है, हॉं तो कब तक, नही तो क्यों?	जामा प्रखण्ड अन्तर्गत फारासिमल मांचाडीह जलस्त्रोत से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी सर्वेक्षण कराया गया है। योजना तकनीकी रूप से Feasible नहीं पाई गई है।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0सं0वि0/20–तारांकित–94/2015 4584 राँची, दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2289, दिनांक–19.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/8/2015

उप सचिव(अभि.)

जल संसाधन विभाग, राँची

(136)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०-15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत दारू प्रखण्ड के दिगवार पंचायत के ग्राम कंजिया एवं विष्णुगढ़ प्रखण्ड के नरकी पंचायत एवं गोविन्दपुर पंचायत के कई गाँवों में आज तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पाया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। दिगवार पंचायत के ग्राम कंजिया का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विष्णुगढ़ प्रखण्ड के नरकी पंचायत के गजण्डी, रंगामाटी, नरकीखुर्द, बाजे एवं अलिकलवा गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। गोविन्दपुर पंचायत के चित्रामु, गोविन्दपुर कलन एवं गोविन्दपुर खुर्द का विद्युतीकरण भी किया जा चुका है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त गाँवों में विद्युतीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गोविन्दपुर पंचायत के शेष बचे तीन टोलों का विद्युतीकरण कार्य बाकी है, जो दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कर आर.ई.सी. नई दिल्ली को भेजा गया था। भारत सरकार द्वारा 06 अगस्त 2015 को उक्त योजना को कुछ संसोधन के पश्चात् स्वीकृत किया गया है। विस्तृत प्रतिवेदन प्रतीक्षित है। प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरांत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2201 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15
सरकार के उप सचिव

(137)

श्री कुणाल षाडंगी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला

तारांकित प्रश्न संख्या जा०-21 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कुणाल षाडंगी, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी-सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा, चाकुलिया एवं गुडबंदा प्रखण्ड में कई महीनों से विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है;	जुलाई माह 2015 में भयंकर आंधी, वर्षा एवं लाइटनिंग के कारण बहरागोड़ा, चाकुलिया एवं गुडबंदा प्रखण्ड में आंशिक रूप से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी। अभी इन तीनों प्रखण्ड में विद्युत आपूर्ति सामान्य है। चूंकि तीनों पावर सब-स्टेशन बहरागोड़ा, चाकुलिया एवं गुडबंदा में धालभूमगढ़ ग्रिड से 33 केवी की विद्युत आपूर्ति होती है। जिसकी दूरी क्रमशः 30 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है एवं घने जंगलों से होकर गुजरता है जिसके कारण ब्रेक डाउन होता रहता है।
2. क्या यह बात सही है कि लचर संचरण व्यवस्था, बिजली विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी के कारण बिजली संकटत उत्पन्न हो गई है;	यह बात सही है कि झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0/ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी है फिर भी संचरण व्यवस्था को रख-रखाव हेतु outsourcing के तहत् कार्य कराया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बहरागोड़ा में एक पावर-ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना धालभूमगढ़ से बहरागोड़ा तक केबल लाईन बिछाना, चाकुलिया सब-स्टेशन को सुदृढ़ कराने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	फिलहाल संचरण निगम द्वारा ग्रिड निर्माण की कोई योजना नहीं है। तथापि झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के द्वारा दीर्घकालीन योजना के तहत् वर्ष 2019-20 में बहरागोड़ा में 132/33 KV ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने की योजना है जिसे धालभूमगढ़ ग्रिड से 132 KV विभव पर जोड़ा जाएगा। बहरागोड़ा में ग्रिड बनने के बाद धालभूमगढ़-बहरागोड़ा के 33 KV Line को Under ground cabling की आवश्यकता नहीं होगी। चाकुलिया सब-स्टेशन का सुदृढ़ीकरण कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2200 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

(138)

श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज0–17 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पं० सिंहभूम जिला के प्रखण्ड क्रमशः मझगाँव, कुमारडुंगी, मंझारी, तांतनगर एवं हाटगम्हरिया अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र में सिंचाई सुविधा की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण कृषकों को काफी कठिनाईयाँ हो रही है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। इन प्रखंडों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई तालाब, चेकडैम / श्रृंखलाबद्ध चेकडैम / मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन / माईक्रोलिफ्ट सिंचाई कूप का निर्माण सिंचाई हेतु कराई गई है।
2	क्या यह बात सही है कि, विभाग द्वारा आज तक ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित न कर स्ट्रेट ड्रील डीप बोरिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है ?	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त चारों प्रखण्डों के क्षेत्रों स्थल को चिन्हित कर अविलम्ब स्ट्रेट ड्रील डीप बोरिंग कर सिंचाई सुविधा दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग द्वारा डीप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0संवि0/20–तारांकित–96/2015 4604 राँची, दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2362, दिनांक–20.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

26/08/2015

उप सचिव(अभि.)
जल संसाधन विभाग, राँची

(139)

ज्ञापांक संख्या 2084 वि०स० दिनांक 14.08.15 द्वारा श्री रवीन्द्र नाथ महतो, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 27.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या कृस–01 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रवीन्द्र नाथ महतो, माननीय सदस्य विधानसभा	माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला में अवस्थित पद के अनुसार पशुचिकित्सक के अभाव में पशुओं में रोग होने से अधिकतर पशु मर जाते है, जिससे पशुपालक आर्थिक संकट में आ जाते है।	जिला अन्तर्गत भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी के 11 (ग्यारह) एवं प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी के 4 पद स्वीकृत है। जिसके विरूद्ध भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी 6 (छः) एवं 01 (एक) प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी कार्यरत है। पशुचिकित्सकों की कमी के कारण फिलहाल पशुचिकित्सकों के रिक्त पदों पर स्थानीय व्यवस्था के तहत अन्य पशुचिकित्सकों के अतिरिक्त प्रभार के द्वारा कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है, कही से भी बिमारियों से पशुओं के मरने की सुचना अप्राप्त है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्वीकृत रिक्त पदों पर पशुचिकित्सकों का पदस्थापन करना चाहती है, यादि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु अधियाचना JPSC को दिनांक 31.07.2015 को भेजा जा चुका है।

ज्ञापांक 1 स्था० विधानसभा 01/2015 प०पा० 1155 दिनांक 24/8/2015
उत्तर की कुल 200 (दो सौ) चक्रलिखित प्रतियाँ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/08/15

सरकार के अवर सचिव
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
झारखण्ड, राँची

(140)

माननीय स0वि0स0, श्री रामचन्द्र सहिस के द्वारा दिनांक-27.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृस-07 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाता:- माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

क्या मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या बात सही है कि पटमदा एवं बोड़ाम प्रखण्ड के किसान कृषि पर निर्भर है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या बात सही है कि बोड़ाम एवं पटमदा प्रखण्ड के किसान अत्यधिक मात्रा में सब्जी उत्पादन करते हैं;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या बात सही है कि पटमदा एवं बोड़ाम प्रखण्ड में "कोल्ड स्टोरेज" का निर्माण नहीं होने के कारण प्रत्येक वर्ष किसानों को काफी नुकसान उठना पड़ता है;	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पटमदा एवं बोड़ाम प्रखण्ड के किसानों के हित में "कोल्ड स्टोरेज" निर्माण करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह योजना एम0आई0डी0एच0 योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन, राँची एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राँची के द्वारा जनजातीय क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों/उद्यमियों/कृषक समूहों के लिए उपलब्ध है तथा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन सं0- पी0आर0 सं0-120371 (कृषि) 2014-15 एवं पी0आर0 सं0-128065 (कृषि) 2015-16 के क्रम में उक्त क्षेत्र से एक भी आवेदन प्राप्त नहीं है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। समय-समय पर इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0प्र0-59/2015- 3192 कृ0,राँची,दिनांक- 21/08/2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-2176 दिनांक-17.08.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/15

(विजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

(141)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अनन्त कुमार ओझा,माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पावर ग्रिड दुमका द्वारा साहेबगंज जिला को समुचित विद्युत आपूर्ति नहीं करने के कारण सिर्फ छ–सात घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। साहेबगंज जिला में 60 MW बिजली की जरूरत है, लेकिन वर्त्तमान में 20 MW विद्युत आपूर्ति हो रही है, जिससे औसतन 12 से 14 घण्टा तक विद्युत आपूर्ति होती है।
2. क्या यह बात सही है कि जिला में LT & HT Wire वर्षों से जर्जर अवस्था में है तथा विद्युत उपकरण एवं सामग्री का भी अभाव है;	जर्जर तार को बदलने हेतु प्राक्कलन स्वीकृत कर कार्य किया जा रहा है।
3. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज प्रखण्ड अन्तर्गत विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है;	साहेबगंज प्रखण्ड अन्तर्गत विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कार्य हेतु मझदेवगंज गौशाला में 2.0 एकड़ जमीन उपलब्ध हो चुका है। विद्युत सब–स्टेशन निर्माण का कार्य एक माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पावर ग्रिड दुमका से साहेबगंज जिला को बिजली आपूर्ति कराये जाने, बिजली उपकरण, LT & HT Wire एवं साहेबगंज प्रखण्ड अन्तर्गत सब–स्टेशन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	132/33 KV (2x50)MVA ग्रिड सब–स्टेशन पाकुड़ को श्रावणी मेला खत्म होने के उपरान्त 220/132 KV (2x50) MVA ग्रिड सब–स्टेशन मदनपुर (दुमका) से विद्युत आपूर्ति शुरू की जायेगी। तत्पश्चात् साहेबगंज को लालमटिया ग्रिड सब–स्टेशन से मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। LT & HT Wire को बदलने की प्रक्रिया जारी है तथा पावर सब–स्टेशन का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूरा करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3304 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

(142)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला

तारांकित प्रश्न संख्या जा०-22 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नलिन सोरेन, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत ग्राम–कोलपाड़ा पंचायत बाँकीजोर का ट्रांसफार्मर विगत 02 (दो) वर्षो से एवं काठीकुण्ड प्रखंड के ग्राम–उलटोला, पंचायत–अस्ताजोड़ा, ग्राम– रानीपहाड़ी, पंचायत–धावाडंगाल, ग्राम–भगडीहा, पहाड़पुर, पंचायत–कदमा, ग्राम–एरो, पंचायत–कालाझर का ट्रांसफार्मर विगत छः माह से खराब है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि रानेश्वर प्रखंड अंतर्गत ग्राम–नदना, पंचायत–पाटजोर, ग्राम–हरिपुर, पंचायत–बागोदर का ट्रांसफार्मर खराब है और लोग अंधेरे में रहने को विवश है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिकारीपाड़ा, काठीकुण्ड एवं रानेश्वर प्रखंड के गाँवों का सर्वेक्षण कराकर खराब पड़े एवं जले ट्रांसफार्मर को बदलने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त वर्णित सभी ग्रामों/टोलों का जले/ खराब ट्रांसफार्मर तीन महीना में बदल दिये जाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2202 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

(143)

श्री केदार हजरा, स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पुछे जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या –क–12 से संबंधित प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	तारांकित प्रश्न	मंत्री कल्याण विभाग का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है ;	झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य बनने के बाद अब तक अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ अब तक एक बार भी राज्य अनुसूचित जाति आयोग की बैठक नहीं की गई है ;	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के लोगों के कल्याणार्थ आयोग की बैठक बुलाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बैठक 03.09.15 को राँची में आहूत की गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–01/वि0स0स0–01/2015 2668 राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2277 दिनांक–19.08.15 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार) 24/8/15
सरकार के उप सचिव

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० (444) द्वारा दिनांक- 26.08.2015 को सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या क०- 03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता- श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावाँ जिला के ईचागढ़ विधान-सभा में 2013-14 के विधायक निधि का कार्य मेसो, सरायकेला द्वारा कराया गया है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि विधायक निधि से सम्पन्न कराये गये कार्य का भुगतान संबंधित विभाग एवं अभियंता द्वारा अब तक नहीं किया गया है ?	अस्वीकारात्मक है। वित्तीय वर्ष- 2013-14 में तत्कालीन माननीय विधायक श्री अरविन्द कुमार सिंह, ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र द्वारा विधायक निधि अंतर्गत स्वीकृत कुल 43 योजनाओं में से 42 योजनाओं में कार्य पूर्ण करते हुए डी०सी० विपत्र भी भेजा जा चुका है। सभी योजनाओं में विभागीय अभिकर्त्ता श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता को योजना में देय राशि का भुगतान जाँचोपरान्त विधिवत कर दिया गया है। 01 (एक) योजना में मापी पुस्त एवं अभिश्रव अप्राप्त रहने के कारण कार्यकारी एजेंसी द्वारा भुगतान किया जाना अवशेष हैं। उक्त के क्रम में मापी पुस्त एवं अभिश्रव की माँग संबंधित अभियंता से कार्यकारी एजेंसी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण के द्वारा की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कराये गये कार्य का भुगतान 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर कराते हुए संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है ? यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कार्यकारी एजेंसी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लंबित 01 (एक) योजना में जाँचोपरान्त 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर भुगतान की कार्रवाई कर दी जायेगी। इस मामले में पर्यवेक्षण किया जा रहा है। भुगतान के पश्चात् इससे संबंधित डी०सी० विपत्र भी समर्पित कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक-9 (वि०यो०/वि०स०)- 83/2015 4430/ग्रा०वि० राँची, दिनांक- 24.8.15
प्रतिलिपि : श्री अमीर दास, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या- 2091 दिनांक- 14.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-9 (वि०यो०/वि०स०)- 83/2015 4430 ग्रा०वि० राँची, दिनांक- 24.8.15
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची/उप सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक- 2559 दिनांक- 18.08.2015/ उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावां को उनके पत्रांक- 235 दिनांक- 21.08.2015 के प्रसंग में

(145)

श्री शशिभूषण सामाड़, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.2015 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड में ब्रहमणी नदी पर बनी ब्रहमणी नहर का जीर्णोद्धार कई वर्षो से नहीं हुआ है,	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित नहर का कई वर्षों से जीर्णोद्धार नहीं होने से कई गाँव के किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ब्रहमणी नहर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	वर्त्तमान में ब्रहमणी नहर से 800 हे० में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के जीर्णोद्धार का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। योजना का जीर्णोद्धार कार्य क्षेत्रीय संतुलन एवं बजटीय उपबंध के आलोक में कराया जा सकेगा। जीर्णोद्धार के उपरांत रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–89/2015 – 4549 /राँची, दिनांक 24-8-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2286 वि०स० दिनांक 19.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कोंके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

146

माननीय स0वि0स0, श्री अमित कुमार के द्वारा दिनांक-27.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृस-06 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाता:- माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

क्या मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या बात सही है कि सिल्ली विधान सभा क्षेत्र के सिल्ली, सोनाहातु एवं राहे प्रखण्ड में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या बात सही है कि उक्त स्थल में कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण किसानों के लाखों टन उपज बर्बाद हो जाते हैं;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित स्थलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	यह योजना एम0आई0डी0एच0 योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन, राँची एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राँची के द्वारा जनजातीय क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों/उद्यमियों/कृषक समूहों के लिए उपलब्ध है तथा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन सं0-पी0आर0 सं0-120371 (कृषि) 2014-15 एवं पी0आर0 सं0-128065 (कृषि) 2015-16 के क्रम में उक्त क्षेत्र से एक भी आवेदन प्राप्त नहीं है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। समय-समय पर इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0प्र0-58/2015- 3191 कृ0,राँची,दिनांक- 21/8/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-2173 दिनांक-17.08.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/15

(विनय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0प्र0-58/2015- 3191 कृ0,राँची,दिनांक- 21-08-15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, [illegible]

(147)

श्री निरल पुरती, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं–क–9 का उत्तर सामग्री:–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत मझगाँव प्रखण्ड में निर्मित आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास भवन जर्जर हालत में है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास भवन के क्षतिग्रस्त रहने के कारण आदिवासी छात्रों को रहने में कठिनाई होती है, जिस कारण छात्र नहीं रहते हैं;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब आदिवासी छात्रों के अच्छे पठन–पाठन एवं शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मझगाँव प्रखण्ड में नये 100 शय्या (बेड) का छात्रावास भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक–1333, दिनांक–08.05.2015 के द्वारा संबंधित उपायुक्त से छात्रावास मरम्मति/जिर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव की मांग की गयी है। पुनः विभागीय पत्रांक–55/स0 को0, दिनांक–18.05.2015 के द्वारा इस संबंध में स्मारित भी किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही राशि की उपलब्धता के आधार पर उक्त छात्रावास भवन का मरम्मति/जिर्णोद्धार किया जाएगा। वर्तमान में नये 100 शय्या (बेड) का छात्रावास भवन निर्माण कराने का प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

ज्ञापांक:– 06/वि0स0–13/2015–क0– 2723 राँची, दिनांक:– 26.08.2015

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2284, दिनांक–19.08.2015 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नुरूल होदा)
सरकार के उप सचिव।

(148)

श्री कुशवाहा शिव पुजन मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–मस–03 की उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र के हरिहरगंज प्रखण्ड में 136 आंगनबाड़ी केन्द्र में से मात्र 22 का, हुसैनाबाद प्रखण्ड में 247 आंगनबाड़ी केन्द्रों में मात्र 9 का ही भवन बना हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित तथ्य के आलोक में हरिहरगंज प्रखण्ड में 114, हुसैनाबाद प्रखण्ड में 213 तथा हैदर नगर प्रखण्ड में 68 आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड –(1) में वर्णित प्रखण्डों में भवन विहीन 395 आंगनबाड़ी केन्द्रों में अविलम्ब भवन का निर्माण कराना चाहती है, अगर हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सभी प्रखण्डो में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की योजना है। आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण हेतु स्थल चयनित करने का निदेश उपायुक्त/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू को दिया गया है। भूमि प्राप्त होने पर आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – म० स०/ता० प्र० – 428/2015– 1872 राँची, दिनांक 24/8/2015

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2276/वि० स० दिनांक – 19.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

(शिवजी चौपाल)
सरकार के अपर सचिव।

(149)

माननीय स0वि0स0, श्री रघुनन्दन मंडल के द्वारा दिनांक-27.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृस-10 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाताः- माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

क्या मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-		
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 1983 ई0 में गोड्डा जिला के सृजन के बाद अब तक जिला कृषि पदाधिकारी का पद सृजित नहीं किया गया है?	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के 9 प्रखण्डों में प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का विगत तीन वर्षों से पदस्थापन नहीं किया गया है?	स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में कृषि निरीक्षक के चार पद स्वीकृत हैं तथा विगत तीन वर्षों से एक भी कृषि निरीक्षक का पदस्थापन नहीं किया गया है?	स्वीकारात्मक
4	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित में जिला कृषि पदाधिकारी का पद सृजित करते हुए, कृषि निरीक्षक एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का पदस्थापन वित्तीय वर्ष 2015-16 में करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला कृषि पदाधिकारी के पद के चिन्हितीकरण का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। जिसके उपरांत जिला कृषि पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापन किया जा सकेगा। प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। नियुक्ति के उपरांत प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि निरीक्षक के पद पर पदस्थापन किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0-62/2015- 3229 कृ0,राँची,दिनांक- 24-08-15

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-2274 दिनांक-19.08.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0-62/2015- 3229 कृ0,राँची,दिनांक- 24-08-15

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(150)

प्रो० जय प्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-21 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत गाण्डेय, बेंगाबाद एंव गिरिडीह (मु0) प्रखंडों में वर्ष 2014–15 में तालाब चेकडैम व डीप बोरिंग लगाये गये है:	वर्ष 2014–15 में बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत चपुआडीह पंचायत में एक अदद् तालाब का जीर्णोद्धार तथा गिरिडीह (मु0) प्रखंड में पहाड़पुर पंचायत के अंतर्गत दो अदद् चेकडैम माईक्रोलिफ्ट सहित तथा एक अदद् कूप तथा माईक्रोलिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण IAP के तहत कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि, गाण्डेय प्रखंड के दासडीह और बेलडीह गांव में लगभग 200 एकड़ जमीन पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नही है:	गाण्डेय प्रखंड के दासडीह एंव बेलडीह में वर्ष 2013–14 में एक–एक अदद् तालाब का जीर्णोद्धार IAP के तहत कराया गया है। इसके बावजूद इन दोनों ग्रामों में बहुत से कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई संसाधन का आभाव है।
3	यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित प्रखंडों के तालाबों, चेकडैम एंव डीपबोरिंग की संख्या तथा खंड–2 में वर्णित गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	प्रश्नगत गाँव में सिंचाई योजनाओं हेतु सर्वेक्षण कराया जायगा। योजना की संभाव्यता, लाभ–लागत अनुपात, क्षेत्रीय संतुलन एंव बजटीय उपबंध के आलोक में योजनाओं का निर्माण कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0सं0वि0/20–तारांकित–100/2015 4578 राँची, दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2389, दिनांक–21.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव(अभि.) 26/8/15
जल संसाधन विभाग, राँची

151

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला प्रश्न सं0–ज0–12 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला भौगोलिक दृष्टिकोण से गंगा किनारे में अवस्थित है फिर भी भूगर्भ जलस्तर में कमी है :	आंशिक स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज, राजमहल एंव उधवा प्रखंड में कृषक सिंचाई सुविधा से वंचित है, जिससे उनको कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है :	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में स्ट्रेट ड्रील डीप बोरिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर सिंचाई की समस्या से निदान पाया जा सकता है:	जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग द्वारा डीप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की फिलहाल कोई योजना कार्यरत नहीं है।
4	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज जिलान्तर्गत उक्त प्रखंडों में स्थलों को चिन्हित कर स्ट्रेट ड्रील डीप बोरिंग द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0सं0वि0/20–तारांकित–90 /2015 4583 राँची, दिनांक–26-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2290, दिनांक–19.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2015

उप सचिव(अभि.)

जल संसाधन विभाग, राँची

(152)

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान सभा क्षेत्र के सिल्ली प्रखण्ड में राडू नदी जलाशय योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 40 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है,	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है उक्त जलाशय योजना हेतु राशि स्वीकृति के पश्चात् अभी तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है,	योजना का DPR तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार के राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को स्वीकृति की अनुशंसा हेतु प्राप्त करा दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जलाशय योजना का निर्माण शीघ्र करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना के DPR की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने के पश्चात् बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आलोक में कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–86/2015 – 4546 /राँची, दिनांक 24-8-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2285 वि०स० दिनांक 19.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(153)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–05 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री योगेश्वर महतो, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के बेरमो प्रखण्ड अन्तर्गत गोविन्दपुर ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ कुल 06 पंचायतों में आज तक राज्य सरकार द्वारा विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायतों में डी0भी0सी0, बोकारो थर्मल द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो प्रति उपभोक्ता से 5.25 पैसे प्रति यूनिट के दर से विद्युत बिल वसूल करती है, जिसका वहन करने में उक्त पंचायत के लोग असमर्थ हो रहे है;	डीवीसी ने झारखण्ड राज्य में डीवीसी कॉलोनियों में बाह्य अभिकरणों से लिये जाने वाले विद्युत प्रभार हेतु दर (डीवीसी कार्यालय ज्ञापांक सं.–सेक्ट/डब्ल्यू/एलडी/कनेक्शन /609, दिनांक–07 अगस्त, 2015) पहले ही संशोधित कर दिया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न। वर्तमान में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि. एलटी शुल्क दर समय–समय पर यथा संशोधित शुल्क दर आदेश के अनुसार सम्वर्ग/स्लैब वार प्रयोज्य है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त छः पंचायतों में विद्युतीकरण का कार्य कर विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नान्तर्गत विषय में वर्णित 06 पंचायतों में से F पंचायत को पूरी तरह विद्युतीकृत किया जा चुका है एवं A, B, C, D एवं E पंचायत में 11 KV लाईन का कार्य पूरा कर लिया गया है। Low Tension(LT) एवं Distribution Sub Station(DSS) का कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2015 तक कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2224 / दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.15

सरकार के उप सचिव

दामोदर घाटी निगम/Damodar Valley Corporation
डीवीसी टावर्स/DVC Towers: वीआईपी रोड/VIP Road
कोलकाता/Kolkata-700 054

No. Sectt./W/LT Connection/609 Aug. 07, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Sub.: Electricity Charges to be levied from the outside agencies in DVC Colonies in the State of Jharkhand.

As per DVC's Tariff order determined by the Jharkhand State Electricity Regulatory Commission (JSERC) effective from Sept. 2014, the LT Tariff as per JSEB (now JBVNL) tariff as determined by JSERC is applicable w.e.f. Sept. 2014 for the LT consumers in the State of Jharkhand. Accordingly, the JSEB (now JBVNL) tariff is applicable category/ slab wise as per the tariff order annexed herewith. Electricity Duty to LT consumers will also be levied in terms of Official Gazette Notification of Jharkhand dated 24.06.2011 annexed herewith.

All previous orders in this regard stands superseded.

This issues with approval of competent authority.

07.08.15
Additional Secretary

Encl.: as above.

Distribution:

The Project Heads: CTPS, BTPS, KTPS, Maithon, Panchet, Tilaiya, Hazaribagh, Konar, Chief Engineer (Trans), Chief Engineer (TSC).

Copy to:

1. The Member – Secretary, DVC, Kolkata.
2. The Member (Technical), DVC, Kolkata.
3. The Member (Finance), DVC, Kolkata.
4. The Chief Vigilance Officer, DVC, Kolkata.
5. The Chief Engineer, Chairman's Office, DVC, Kolkata.

154

श्री बादल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–10 से संबंधित प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के भोजन मद में प्रत्येक माह प्रत्येक छात्र 1030/– रूपये देने का प्रावधान है?	आंशिक स्वीकारात्मक । कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक आवासीय विद्यालय (कक्षा– 1 से 6) में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के भोजन मद में 1030/– रूपये तथा उच्च विद्यालयों (कक्षा– 7 से 12) में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के भोजन मद में 1273/– रूपये प्रतिमाह प्रति छात्र प्रावधानित है ।
2	क्या यह बात सही है कि कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के भोजन मद में प्रत्येक माह प्रत्येक छात्रा 1500/– रूपये देने का प्रावधान है?	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के भोजन मद में भी प्रत्येक माह प्रत्येक छात्र 1500/–रूपये देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	भोजन दर पुनरीक्षण प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–06/वि0 स0–12/2015 2220 राँची, दिनांक– 26/8/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2278 दिनांक–19.08.2015 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.8.15

(आभा कौशी)
सरकार के विशेष सचिव।

D:\chandan\vidhan sabha.doc

155

ज्ञापांक सं0 2082 वि0स0, रॉची, दिनांक 14.08.2015 द्वारा माननीय श्री जयप्रकाश सिंह भोगता, स0वि0स0 द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 कृ0–03 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
माननीय श्री जयप्रकाश सिंह भोगता, स0वि0स0	माननीय श्री रणधीर कुमार सिंह, मंत्री, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
01) क्या यह बात सही है कि जिला चतरा में सरकार द्वारा 120 मछुआ आवास निर्माण हेतु दिया गया था,	उत्तर – स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2014–15 में चतरा जिला में 120 मछुआ आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमे से अनुसूचित जनजाति के लिए 40, अनुसूचित जाति के लिए 20, तथा अन्य के लिए 70 मछुआ आवास निर्माण के भौतिक लक्ष्य निर्धारित है। चतरा जिले में 120 आवास के लक्ष्य के विरुद्ध 80 आवास निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।
02) क्या यह बात सही है कि मछुआ आवास के वितरण में घोर अनियमितता बरती गई है,	उत्तर– अस्वीकारात्मक। लाभुकों का चयन, निर्गत स्वीकृत्यादेश के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी, जिसमें संबंधित जिले के माननीय विधायक (सिमरिया) एवं माननीय विधायक, चतरा सदर के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। समिति द्वारा 10 अनु0जाति, 40 अनु0ज0जा0 एवं 70 अन्य लाभुकों का चयन किया गया है।
03) यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वितरण में हुई अनियमितता के पूरे मामले की जॉच कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर– जॉच कराने की कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता है।

ज्ञापांक– सं0स0–म0नि0–XI / वि0स0–45 / 2015–16 1673 मत्स्य / रॉची / दिनांक 21/08/15

उत्तर की कुल 200 चक्रलिखित प्रतियॉ अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/08/15

सरकार के अवर सचिव
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

(156)

माननीय स०वि०स०, श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी के द्वारा दिनांक-27.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृस-05 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाता:- माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

क्या मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या बात सही है कि गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित कृषि महाविद्यालय गढ़वा का भवन बनकर 2009 से तैयार है, लेकिन उक्त भवन में अध्ययन-अध्यापन प्रारंभ नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। यह कृषि महाविद्यालय वर्ष 2013-14 में बनकर तैयार हुआ है।
2	क्या बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित कृषि महाविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन नहीं होने से सक्षम बच्चे पलायन करने को मजबूर है तथा गरीब बच्चे उक्त शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।	उक्त महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम वर्तमान में बिरसा कृषि महाविद्यालय में संचालित है। अतः इच्छुक विद्यार्थी अपना नामांकन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची में करा सकते हैं।
3	क्या बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित कृषि महाविद्यालय में पढ़ाई तो शुरू नहीं हुई परन्तु कृषि महाविद्यालय के लिए पहुंच पथ उपयोग होने से पहले टूट गए है एवं अनेक स्थान पर दरार पड़ गए हैं;	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जांच समिति गठित कर कार्रवाई की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही दोषी पर कार्रवाई की जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में कृषि महाविद्यालय, गढ़वा के नवनिर्मित भवन में अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रारंभ कराते हुए पहुंच पथ की घटिया निर्माण कराने वाली संवेदक पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उक्त सड़क का पुर्ननिर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त महाविद्यालय को जन निजी भागीदारी (PPP Mode) के माध्यम से संचालन की प्रक्रिया सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत दोषी पाए जाने की स्थिति में संवेदक पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-9/कृ०वि०स०प्र०-57/2015- 3205 कृ०,रॉंची,दिनांक- 22-08-15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञाप सं०-2174 दिनांक-17.08.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ०वि०स०प्र०-57/2015- 3205 कृ०,रॉंची,दिनांक- 22-08-15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रॉंची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रॉंची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

157

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज0–01 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड के आहारडीह में लिफ्ट ऐरिगेशन बंद पड़ा है?	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि, आहारडीह की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है तथा सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने से किसान वर्षा पर निर्भर है?	उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कराया गया था, जो विद्युत तथा यांत्रिक दोष के कारण अभी बंद है। योजना को पुनः चालू करने हेतु योजना स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जायेगा। वर्तमान में योजना की संभाव्यता पाये जाने पर योजना के पुनर्स्थापन/पुर्ननिर्माण की दिशा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिफ्ट ऐरिगेशन को पुनः चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0सं0वि0/20–तारांकित–78/15 4543 राँची, दिनांक– 24-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2069, दिनांक–14.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15
उप सचिव(अभि.)
जल संसाधन विभाग, राँची

158

श्री हरि कृष्ण सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–15 का उत्तर सामग्री।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में एवं राज्य के बाहर अनियंत्रण महाविद्यालयों,पॉलटेकनिक कॉलेजों,पोस्ट मैट्रिक आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं पिछडी वर्ग के छात्रों को ससमय छात्रवृति का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक । राज्य के बाहर एवं राज्य के अन्दर विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत्त छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन E-KALYAN/E-PASS के माध्यम से प्राप्त किया जाता है । उपलब्ध बजट प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापित आवेदनों के आधार पर ससमय छात्रवृति का भुगतान किया जाता है। पर्याप्त राशि की अनुपलब्धता के कारण छात्रवृति भुगतान में विलम्ब होता है।
2	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के कुछ छात्रों का तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के सभी छात्रों का छात्रवृति का भुगतान अब तक नहीं किया गया है,जिससे कि अध्ययनरत छात्रों को काफी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडी जाति के छात्र–छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति भुगतान हेतु प्रावधानित राशि की स्वीकृति/आवंटन आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस आदेश के द्वारा आदिवासी कल्याण आयुक्त एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को पिछले वित्तीय वर्षों के लंबित छात्रवृति भुगतान का निर्देश दिया गया है। तदनुसार छात्रवृति भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। बकाये राशि की व्यवस्था हेतु प्रथम अनुपूरक के माध्यम से राशि की मांग की गयी है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार ऊपर वर्णित छात्रों की छात्रवृति ससमय भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कण्डिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–4/वि०स०प्र०(ता०)N–05/2015 — 2725 राँची, दिनांक:– 26·8·15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2368 दिनांक–20.08.15 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/15

(शुभा अखौरी)
सरकार के उप सचिव।

(154)

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ज०–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिला के प्रखण्ड जगन्नाथपुर के अन्तर्गत बैतरणी नदी है जो धुवाडीह डोंगाघाट, ग्राम बनाईकेला, तुडसाई, ब्रह्मपुर, रामतीर्थ, बाँसकाटा, तैतगढ़ होते हुए बहती है,	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि बरसात के दिनों में बैतरणी नदी के बहाव के कारण उपरोक्त गाँव के नदी तटीय क्षेत्र दिनों–दिन कटाव होने से उपजाऊ जमीन, आवागमन के सड़क एवं आवासीय क्षेत्र जो बहाव के कारण खतरा बनी हुई है,	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बैतरणी नदी के बहाव के कारण कटाव को रोकने के लिए तटबंध बनाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त की जाने वाली अनुशंसा के आलोक में बजटीय उपबंध के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–101/2015 – 4579 /राँची, दिनांक 26-9-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2390 वि०स० दिनांक 21.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कोंके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/15

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

160

श्री नारायण दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.03.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ज–19 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र० स०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 को झारखण्ड सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची के पत्रांक–10बी/भू०अ०नि०(भू–अर्जन नियमावली–2013)–12/14–67/ए० रा०, दिनांक–11.03.2014 के द्वारा दिनांक–01.01.2004 के प्रभाव से झारखण्ड राज्य में लागू कर दिया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि पुनर्वास पदाधिकारी, देवघर द्वारा पुनासी जलाशय योजनान्तर्गत जमीन अधिग्रहण किया गया है तथा उस जमीन के रैयत का मोट रकवा अंचलाधिकारी, देवघर एवं जिला अभिलेखागार पदाधिकारी, देवघर से प्राप्त होने के बाद भूमि–अर्जन के आधार पर विस्थापित घोषित की जायेगी;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम–2013 के आधार पर देवघर जिला के पुनासी जलाशय योजना के प्रस्तावित मुखिया एवं विस्थापितों ने जमीन अर्जन के आधार पर विस्थापित बनाने एवं अन्य लाभ देने हेतु उपायुक्त, देवघर को आवेदन दिया है, जिसे जिला जन शिकायत कोषांग, देवघर के पत्रांक–831, दिनांक–14.05.15 के द्वारा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, देवघर को निदेश दिया गया है;	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देवघर जिला के पुनासी जलाशय योजना से विस्थापितों को उक्त अधिनियम के तहत पुनर्वासित करने एवं अन्य समुचित लाभ दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–24 की उपधारा–1 के खण्ड (b) के अनुसार जिन मामलों में पुराने अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत पंचाट बन चुका है, उनमें पुराने अधिनियम के तहत कार्रवाई की जावेगी। ऐसे मामलों में पुनर्वास की कार्रवाई पुनर्वास नीति 2012 के प्रावधानों के तहत ही की जावेगी। नये मामलों या ऐसे पुराने मामले जिनमें धारा–11 के तहत पंचाट घोषित नहीं किया गया है, में 2013 के नये अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान तथा पुनर्वास की कार्रवाई की जावेगी।

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञाप सं० 6 / ज०स०वि०–20–तारा–98 / 2015 4603 राँची / दिनांक 26-8-15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2359 वि०स० दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर, / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) जल संसाधन विभाग, राँची / उप सचिव (प्रशाखा–14) के प्रभारी, जल संसाधन विभाग, राँची / प्रशाखा पदा०–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(16)

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०-01 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रामकुमार पाहन, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि रॉंची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड के जारगा बोंगइवेडा, बुढ़ीवेडा एवं सिरपा में वर्ष 2011 से आरंभ किया गया है परन्तु अभी तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं किया गया है;	ग्राम बुढ़ीवेडा के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर माह जुलाई 2015 में ऊर्जान्वित कर दिया गया है। जारगा, बोगइवेडा एवं सिरपा में कार्य प्रगति पर है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त गाँवों में विद्युतीकरण नहीं होने की स्थिति में लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त गाँवों में विद्युतीकरण पूरा करने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त तीनों ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य M/s NTPC के द्वारा किया जा रहा है जिसे माह जनवरी 2016 तक ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2191 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15
सरकार के उप सचिव

(162)

श्री रघुनन्दन मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–18 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रघुनन्दन मंडल, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के क्रमशः गोड्डा मुख्यालय सब–स्टेशन में 2X10 एम0भी0ए0 ट्रांसफार्मर, 33 के0भी0 के 04 ब्रेकर, 11 के0भी0 के 02 ब्रेकर एवं पथरगामा सब–स्टेशन को 2X10 एम0भी0ए0 के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला विद्युत प्रमण्डल गोड्डा कार्यालय द्वारा खण्ड–01 में वर्णित समानों की माँग मुख्यालय से किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित समानों के उपलब्ध नहीं रहने के कारण इन दोनों सब–स्टेशन में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने में कठिनाई होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को समुचित बिजली नहीं मिल पा रहा है एवं आये दिन दुर्घटनाएँ हो रही है;	आंशिक स्वीकरात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जल्द ही विद्युत व्यवस्था बेहतर करने के लिए उपरोक्त सामाग्री उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गोड्डा मुख्यालय सब–स्टेशन में पूर्व में 05 MVA के 04 अदद् पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए थे। पिछले माह जुलाई में एक अदद् 05 MVA के स्थान पर 1x10 MVA पावर ट्रांसफार्मर सब–स्टेशन में अधिष्ठापित किये गये है, जिसके कारण वर्तमान में गोड्डा सब–स्टेशन की क्षमता 3x5+1x10 हो गई है। 33 KV ब्रेकर विद्युत केन्द्रीय भंडार देवघर में 12 अदद् उपलब्ध कराया गया है, वर्त्तमान में 08 अदद् 33 KV ब्रेकर उपलब्ध है। श्रावणी मेला पश्चात आवश्यकतानुसार गोड्डा सब–स्टेशन में अधिस्थापित कर दिया जायेगा। 10 अदद 11 KV ब्रेकर केन्द्रीय भण्डार, देवघर को आवंटन कर दिया गया है, जिसे आवश्यकतानुसार गोड्डा सब–स्टेशन में माह सितम्बर 2015 में अधिष्ठापित कर दिया जायेगा। वर्त्तमान में पथरगामा सब–स्टेशन में 1x5 MVA पावर ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित है। 01 अदद् 05 MVA पावर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है जिसे अगले माह सितम्बर में उपलब्ध कराकर अधिष्ठापित कर दिया जायेगा। माह अक्टुबर 2015 के उपरान्त विद्युत व्यवस्था में आशातीत सुधार कर दिये जाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2216 / दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.15
सरकार के उप सचिव

(163)

दिनांक–27.08.2015 को श्रीमती गंगोत्री कुजुर मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–म0स0–2 की उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गत दिनों राँची जिले के मांडर क्षेत्र में डायन कहकर पांच महिलाओं की हत्या कर दी गयी है।	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में डायन प्रथा के उन्मूलन संबंधी कानूनों के अनुपालन तथा जागरुकता के प्रयासों का दावित्व होने के बावजूद इस पर गंभीर प्रयास नहीं किये गये।	डायन प्रथा के उन्मुलन संबंधी कानूनों के प्रचार प्रसार हेतु बाल विकास परियोजनाओं में विगत वर्षों में आंगनबाड़ी सेविकाओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है एवं पम्पलेट पोस्टर के माध्यम से जागरुकता का प्रयास किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि डायन प्रथा के खिलाफ जागरुकता के लिए पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का प्रत्यायोजन किये जाने के बावजूद इस पर अमल नहीं होने के कारण समस्या बढ़ती जा रही है।	विगत वर्षों में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों को पम्पलेट, पोस्टर उपलब्ध कराकर डायन प्रथा के उन्मुलन संबंधी कानूनों की जानकारी देने की कोशिश की जाती रही है। सम्प्रति उक्त विषय पर नुक्कड़ नाटक, गोष्ठियों के माध्यम से जागरुकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही दिनांक 26.08.2015 से जागरुकता रथ के द्वारा लोगों को इस दिशा में जागरुक करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। आकाशवाणी/एफ0एम0 एवं अन्य रेडियो चैनल के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार की योजना है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस लापरवाही के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से डायन प्रथा के उन्मूलन संबंधी जागरुकता फैलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया है एवं सम्प्रति मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – स० स० /ला०प्रश्न 419/2015 –1871 राँची, दिनांक 24/8/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2170/वि0स0 दिनांक–17.08.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

(शिवजी चौपाल)

सरकार के अपर सचिव।

(164)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–20 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मनीष जायसवाल, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण व ट्रांसमिशन लाईन का कार्य विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा निर्गत अनुज्ञा–पत्रधारी संवेदक करते है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित कार्य हेतु संवेदक को अपने फार्म में ओभर हेड कार्य की क्षमता वाले तार कर्मी व विद्युत पर्यवेक्षक को नियोजित करना अनिवार्य है;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों अबतक खण्ड–01 में वर्णित कार्य उक्त बोर्ड द्वारा निर्गत हाऊस वाईरिंग कार्य हेतु अधिकृत संवेदकों से संबंधित अभियंताओं द्वारा कराई जा रही है, जिसके लापरवाही के कारण ही अबतक कई जिलों में विद्युत तार को टूटने से कई लोगों की जाने जा चुकी है;	अस्वीकारात्मक। ग्रामीण विद्युतीकरण एवं संचरण लाईन का कार्य विद्युत लाइसेसिंग बोर्ड द्वारा निर्गत अनुज्ञा पत्रधारी संवेदक के द्वारा कार्य करायी जाती है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जिलावार खण्ड–01 में वर्णित कार्यों को करनेवाले सभी संवेदकों के विद्युत अनुज्ञा–पत्रों की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी अभियंताओं पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2220 / दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.15
सरकार के उप सचिव

(165)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०– 04 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अनिल मुर्मू
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को मात्र 9500.00 रूपये मानदेय दिया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को 9,500 रू० प्रति माह मानदेय एवं 500 रू० प्रति माह परिवहन भत्ता के रूप में दिया जाता है। झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्यों को 12,500 रू० प्रति माह मानदेय एवं 1,000 रू० प्रति माह परिवहन भत्ता के रूप में दिया जाता है।
(2) क्या यह बात सही है कि उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का मानदेय आज के महँगाई के समय में बहुत ही कम है;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को महँगाई को देखते हुए सम्मानपूर्ण जीवन यापन हेतु मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है। जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को 20,000 रू० प्रति माह मानदेय एवं 3,500 रू० प्रति माह परिवहन भत्ता के रूप में देने का प्रस्ताव है। झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्यों को 25,000 रू० प्रति माह मानदेय एवं 4,000 रू० प्रति माह परिवहन भत्ता के रूप में देने का प्रस्ताव है।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 70/2015 4257 /राँची, दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2396, वि०स०, दिनांक 21.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.8.15

(उपेन्द्र नारायण उराँव),
सरकार के अपर सचिव।

(166)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०-07 की उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हटिया ग्रिड से पलामू को मिलने वाली बिजली हेतु चैनपुर प्रखण्ड में पावर ग्रिड का निर्माण करने का प्रस्ताव है;	अस्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि चैनपुर प्रखण्ड में पावर ग्रिड का निर्माण पूरा कर लिये जाने से बिजली की समस्या से आमजन को राहत मिलेगी;	अस्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हटिया ग्रिड से चैनपुर प्रखण्ड में बनने वाले पावर ग्रिड का एक समय सीमा के अन्दर निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू के मेदिनीनगर (सूदना) में 132/33 KV (2x50) MVA ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत है, जिसे हटिया ग्रिड से नवम्बर 2013 में जोड़ा गया है। तत्पश्चात् पलामू जिला को हटिया ग्रिड से बिजली उपलब्ध होने लगी है। उल्लेखनीय है कि चैनपुर प्रखण्ड सूदना से लगभग 8-9 KM की दूरी पर अवस्थित है इसलिए झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चैनपुर में ग्रिड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2207 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

(167)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०-02 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशानुसार सहायक अभियंता (आई०टी०) के 30 पदों का सृजन किया है;	अस्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उन पदों पर कार्यरत् सहायक अभियंताओं को निर्धारित मासिक मानदेय से काफी कम मानदेय जो ससमय भुगतान भी नहीं होता है;	अस्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बकाये मानदेय का पूर्ण भुगतान करते हुए (आई०टी०) अभियंताओं की सेवा स्थायी करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संयुक्त सचिव (वितरण), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 18.06.2013 के समीक्षा बैठक में R-APDRP का कार्य व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए आई०टी० सेवर्न का गठन कर इस योजना के अन्तर्गत आनेवाले सभी 30 शहरों में सहायक अभियंता (आई०टी०) की पदस्थापना करने हेतु निदेश दिया गया। तदनुसार सहायक अभियंता (आई०टी०) के तीस (30) पदों के सृजन एवं उक्त पद के विरूद्ध संविदा के आधार पर सहायक अभियंता (आई०टी०) की नियुक्ति करने का मामले को एजेन्डा आइटम संख्या 1150/2012–13 के तहत् दिनांक 01.06.2013 को आहूत बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखा गया। उक्त बैठक में संकल्प संख्या 1116 के तहत् यह निर्णय लिया गया कि नियुक्ति के स्थान पर प्रस्तावित आई०टी० कार्य को बाह्यस्त्रोत से निविदा के माध्यम से कराया जाय। निविदा के माध्यम से प्रस्तावित आई०टी० कार्य को outsourced किया गया। निविदा में चयनित एजेन्सी को उनके द्वारा समर्पित विपत्र का भुगतान निविदा में निहित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है। अतः मानदेय भुगतान एवं सेवा स्थायी का यह मामला नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2268 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

168

दिनांक–27.08.2015 को श्रीमती विमला प्रधान माननीया सं0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–म0स0–1 की उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना "जीवन आशा" की शुरूआत की गयी थी। किन्तु वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजना में काम नही हुआ जिसके कारण एक भी शिशु को इसका लाभ नही मिला।	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि इस योजना के तहत् अति कुपोषित बच्चों को पहचानकर उसे अल्पाहार के रूप में मेडिसिन फुड देने के अलावा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य उपकेन्द्रों तथा समाज कल्याण विभाग के आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के तहत् संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6–8 सप्ताह मेडिसिन फुड दिया जाना है।	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि इस योजना के शुरूआती कार्यक्रम में कुपोषण से निपटने के लिए दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों ने भी सहायता की थी और इस योजना को प्रारंभ करने के लिए पुनः पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।	इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान दूसरे राज्य के पदाधिकारियों द्वारा कोई भ्रमण या अध्ययन नहीं किया गया है एवं इस संबंध में कोई सराहना संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जीवन आशा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को पुनः आरंभ कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पत्रांक– D.O. No. 13(14) 2009 – ND/TECH दिनांक– 26th Sept. 2013 द्वारा जीवन आशा कार्यक्रम एवं विशेषकर इस कार्यक्रम में दिए जाने वाले RUTF (चिकित्सीय आहार) पर गंभीर आपत्ति जाहिर की गई थी। हालांकि भारत सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भेजा गया, परन्तु इसका अबतक कोई प्रत्युत्तर भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार से इस संबंध में मार्ग निदेश प्राप्त होने के उपरांत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – स० स० /ता०प्रश्न 415/2015 – 1913 राँची, दिनांक 26/08/ 2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2070/वि0स0 दिनांक–14.08.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/15

(शिवजी चौपाल)

सरकार के अपर सचिव।

(169)

श्री फूल चन्द मंडल, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 27.08.2015 को पुछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–क–04 की उत्तर सामग्री।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि धनबद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत आसनबनी–2, लाहरडीह, शिवपुर, पथुरिया, मुर्गाबनी, करनीडीह, सरकारडीह, मटियाला, मयुरनचना, बड़ापिछरी, सहराज, परासी, मरिचो, नावाटांड, पंजननिया एवं काड़ालागा में कब्रिस्तानों की घेराबंदी नही हुई है।	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम सरकारडीह, मटियाला में कब्रिस्तान घेराबंदी योजना की स्वीकृति एवं आवंटन वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रदान की गई है जिसका कार्य भी पूर्ण हो चुका है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आवश्यकतानुसार जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर राशि की उपलब्ता के अनुसार योजना स्वीकृत की जाती है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–8/वि०स०(ता०प्र०)–24/2015 2621 राँची, दिनांक– 21/8/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2169 दिनांक 17.08.2015 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.8.15

(नुरुल होदा)
सरकार के उप सचिव।

(170)

श्रीमती निर्मला देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज0–05 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड के चिकोर पंचायत में सिंचाई हेतु कनकनी नदी में मोटर पम्प सेट लगाकर 150 एकड़ भूमि सिंचाई की जाती है?	स्वीकारात्मक
2	यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब अतिरिक्त मोटर लगाकर सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	उपरोक्त उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कराया गया था, जो विद्युत तथा यांत्रिक दोष के कारण अभी बंद है। योजना को पुनः चालू करने हेतु योजना स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जायेगा। वर्तमान में योजना की संभाव्यता पाये जाने पर योजना के पुनर्स्थापन/पुर्ननिर्माण की दिशा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0सं0वि0/ 20–तारां0–82/2015 4544 राँची, दिनांक– 24-8-15

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2168, दिनांक–17.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15
उप सचिव(आर्थि.)
जल संसाधन विभाग, राँची

(171)

2371
26/08/2015

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -क0-13
क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर स्थित आर0 मित्रा +2 उच्च विद्यालय आवासीय विद्यालय है, जिसकी भवन की स्थिति अत्यन्त जर्जर एवं दयनीय हो गयी है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यह विद्यालय आवासीय विद्यालय नहीं है। पूर्व में विद्यालय परिसर में एक छात्रावास था। छात्रावास बंद है तथा इसका भवन जर्जर अवस्था में है। वर्ग संचालन हेतु 18 कमरे उपलब्ध हैं। इन 18 कमरों में कक्षायें संचालित की जाती हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राएँ पठन-पाठन कार्य करते हैं ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ सामान्य जाति के भी छात्र-छात्रायें अध्ययनरत् हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के जीर्ण-शीर्ण का जिर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जैसा कि खण्ड-1 में उल्लेख किया जा चुका है, कि विद्यालय में पठन-पाठन हेतु कुल 18 कमरे तथा इसके अतिरिक्त 1 कमरा में प्रयोगशाला संचालित हैं। अतः तत्काल प्रस्तुत विद्यालय का जीर्णोद्धार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

26/08/15
सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-130/2015...2371.../ दिनांक...26.....अगस्त, 2015
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/15
सरकार के उप सचिव।

(172)

प्रो० स्टीफन मराण्डी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज0–18 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत आलूबेड़ा (अमड़ापाड़ा) से सोनारपारा तक बासलोई नदी में निर्मित–23 उद्वह सिंचाई योजनाओं क्रमशः नुराई, भीमपुर, काठशाला आदि वर्षों पूर्व से बंद पड़ी है :	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, इसके चलते एक बड़ा भूभाग सिंचाई सुविधा से वंचित है जिसका खमियाजा उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से खेती पर आश्रित ग्रामीण गरीब किसानों को भुगतना पड़ता है।	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि, बंद पड़ी इन उद्वह सिंचाई योजनाओं के विरूद्ध स्थापना मद में खर्च की जा रही खासी सरकारी राशि भी निरर्थक साबित हो रही है :	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गरीब किसानों के कल्याणार्थ उक्त बंद पड़ी उद्वह सिंचाई योजनाओं को चालू करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	नुराई एवं काठशाला उद्वह सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कर लिया गया है। प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। बांसलोई नदी में निर्मित उद्वह सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है। बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0सं0वि0/20–तारांकित–94/2015 4582 राँची, दिनांक–26-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2360, दिनांक–20.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

26/8/15

उप सचिव(अभि.)
जल संसाधन विभाग, राँची

(172)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती जोबा मांझी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या क–2

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत गुदड़ी प्रखण्ड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के रसोईयों का मानदेय वर्ष 2006 से लंबित है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जून 2015 तक का मानदेय संबंधित विद्यालयों के माता समिति के खाते में उपलब्ध करा दिया गया है तथापि जिला शिक्षा अधीक्षक, पश्चिम सिंहभूम को निदेशित किया गया है कि व्यक्तिगत रूचि लेते हुए उक्त प्रखण्ड के सभी रसोईयों का मानदेय भुगतान हुआ है या नहीं, इस संबंध में विस्तृत जाँच कर प्रतिवेदित करें।
2.	क्या यह बात सही है कि रसोईयों को मानदेय नहीं मिलने से अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	उपरोक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के रसोईयों को मानदेय उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट है।

26/08/15
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक– 2055 / राँची, दिनांक 26.08. 2015

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2086, दिनांक 14.08.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/15
सरकार के उप सचिव

(174)

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 27.08.2015 को पूछे जाने वाला

तारांकित प्रश्न संख्या–मा0स0–05 की उत्तर–सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ एवं साहेबगंज जिला में वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में चयनित लाभुकों में से मात्र 70 प्रतिशत लाभुकों के पेंशन की राशि उनके बैंक खातें में ट्रांसफर (जमा) किए गए है।	अवीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में साहेबगंज एवं पाकुड़ जिले के सभी पेंशनधारियों की सूची डाटा में अपलोड कर बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लाभुकों को शत्–प्रतिशत भुगतान कराया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि 30 प्रतिशत लाभुकों को उम्र जनित कठिनाईयों के कारण अंगूठा निशान में संभावित बदलाव के कारण बैंक से राशि की निकासी में लाभुकों को कठिनाई हो रही है।	अस्वीकारात्मक। इस संबंध में उपायुक्त साहेबगंज एवं पाकुड़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित बैंक तथा लाभुकों से कोई सूचना अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन की राशि भुगतान को सरलीकरण करने तथा शेष बचे 30 प्रतिशत चयनित लाभुकों को भी पेंशन राशि के भुगतान का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 के प्रश्नोत्तर के आलोक में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – म0 स0/ता0 प्रश्न – 430/2015–1910 राँची, दिनांक 26/8/ 2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके विभागीय ज्ञाप सं0– 2371, दिनांक– 20.08.2015 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिवजी गोपाल)

175

माननीय स०वि०स०, श्री विरंची नारायण के द्वारा दिनांक-27.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृस-08 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाताः- माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

क्या मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या बात सही है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में कई गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा फलदार वृक्षों का रोपण विगत 5 वर्षों से करवाया जा रहा है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या बात सही है कि कई जिलों से यह शिकायत आ रही है कि गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित संख्या में वृक्षों का रोपण नहीं किया जा रहा है;	चयनित गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पौध रोपण का कार्य किया जा रहा है। पौध रोपण के उपरांत कुछ स्थानों पर Mortality (पौधों के मृत) होने की शिकायत देवघर जिला से प्राप्त हुआ है। जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
3	क्या बात सही है कि उक्त योजना के अंतर्गत गाँव में ही लाभुकों का चयन कर गाँव के लोगों से ही उक्त वृक्षों का रोपण करवाना है, जबकि ऐसा न कर विभाग गैर सरकारी संस्थाओं से यह कार्य करवा रही है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। राज्य बागवानी मिशन सोसाईटी की आम सभा दिनांक-22.01.2007 की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में योजना का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों के साथ ही उक्त गैर सरकारी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यों की जांच हेतु प्रमण्डल स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है, जो सभी जिलों में योजनाओं का निरीक्षण/जांच कार्य कर रही है। तत्संबंधी जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समेकित रुप से समीक्षा कर दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-9/कृ०वि०स०प्र०-60/2015- 3230 कृ०,राँची,दिनांक- 24-08-15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-2172 दिनांक-17.08.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

(विजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ०वि०स०प्र०-60/2015- 3230 कृ०,राँची,दिनांक- 24-08-15

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के

(176)

श्री रामचन्द्र सहिस, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०-10 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रामचन्द्र सहिस, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोड़ाम प्रखण्ड में विद्युत सब-स्टेशन नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पटमदा प्रखण्ड का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण एक सब-स्टेशन के द्वारा सही रूप से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाता है जिसकी पूर्ति हेतु कटिंग में सब-स्टेशन निर्माण करने की आवश्यकता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बोड़ाम एवं पटमदा प्रखण्ड के कटिंग में सब-स्टेशन निर्माण करना चहती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बोड़ाम प्रखण्ड के कटिंग में एक 2x5 MVA के विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की स्थापना दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल है जिसकी स्वीकृति हाल ही में भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, आर०ई०सी० द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शीघ्र ही इस योजना के तहत् निविदा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3265 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25-08-15
सरकार के उप सचिव

(177)

श्री राजकुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के तिसरी प्रखण्ड एवं गांवां प्रखण्ड अन्तर्गत सकरी नदी के किनारे सैकड़ों गाँव अवस्थित है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इन गाँवों के ग्रामीण सकरी नदी के बाढ़ की विभिषिका का कहर वर्षों से झेलते आ रहे है,	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि सकरी नदी के किनारे बसे सैकड़ों गाँवों की उपजाऊ जमीन बाढ़ के कटाई से नदी में समा गई है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों प्रखण्डों का सर्वेक्षण कराकर गार्डवाल बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गिरिडीह जिला के प्रखण्ड गाँवा के ग्राम पथलडीहा, पच्छीयारीडीह, पडरिया, डरकोल, महोरी, आमासखुआ, चरही, नीमाडीह, बेलाकुटटा, कामता, विष्णीटीकर, नावाडीह, हीराहरी, भागलपुर, अरगारो का सुरक्षात्मक कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य करा लिया गया है। प्रखंड तिसरी के प्रभावित गाँव का सर्वेक्षण कार्य प्रक्रिया में है। वर्षात बाद स्थल की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के अनुशंसा के आलोक में बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–93/2015 – 4548 /राँची, दिनांक 24-8-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2294 वि०स० दिनांक 19.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)

178

श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–18 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वर्ष 2011 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडी जाति के विद्यार्थियों को कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के गठन के पूर्व से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडी जाति के विद्यार्थियों को कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन करने में त्रुटिवश तीन हजार विद्यार्थियों का आवेदन विचाराधीन रखा गया, जो वर्ष–2013–14 से संबंधित है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में उनके द्वारा त्रुटि की गयी है जिसके कारण उन्हें स्वीकृति नहीं दी गयी है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विद्यार्थियों के आवेदन में हुए त्रुटि को सुधार करने का एक मौका देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	छात्रों को त्रुटि सुधार करने हेतु सूचित किया गया है एवं उन्हें मौका दिया गया है। पूर्व आवेदनों पर स्वीकृति की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–4 / वि0स0प्र0(ता0)N–06 / 2015 – 2724 राँची, दिनांक:– 26·8·15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2393 दिनांक–21.08.15 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/15

(शुभा अख्तरी)
सरकार के उप सचिव।

(174)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला प्रश्न सं0–ज0–07 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पिपरा प्रखण्ड के अमकर डैम कार्य 2006–7 में प्रारम्भ होकर अभी तक अर्द्ध निर्मित है ?	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अमकर डैम के पूरा नहीं होने से किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं ?	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार खंड–1 में वर्णित अमकर डैम के अधूरे कार्यों को कराते हुए दोषियों पर दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इस योजनाओं में कराये गये कार्य की जाँच उड़नदस्ता द्वारा करायी गई है। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त संबंधित अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा गया है। जिसपर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0सं0वि0/ 20–तारांकित–83/15 4576 राँची, दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2293, दिनांक–19.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/8/15

उप सचिव(अभि.)

जल संसाधन विभाग, राँची

180

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला

तारांकित प्रश्न संख्या जा०–16 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के प्रतापपुर सब–स्टेशन से बगोदर एवं सरिया प्रखण्ड को विद्युत की आपूर्ति old feeder के माध्यम से की जाती है, जिसकी तार जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित प्रखण्डों में 11 KVA का सप्लाई में जो पोल लगा है, उसकी दूरी मानक दूरी के अनुरूप नहीं है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित जर्जर तार को बदलने एवं मानक दूरी के अनुरूप पोल लगवाने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त वर्णित लाईन (Sariya old feeder) का सर्वे 15 दिनों में कराकर आवश्यकतानुसार पोल एवं तार लगाने का कार्य दो माह के अन्दर करा दिये जाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2217 / दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.15

सरकार के उप सचिव

181

श्री अरुप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 27.08.2015 को पूछे जाने वाले

तारांकित प्रश्न संख्या–क–17 का उत्तर

क्रम	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
1	क्या यह बात सही है कि राज्य भर में कार्यरत सहियावों एवं सेविकाओं के मानदेय में 700/– रुपये की बढ़ोत्तरी अप्रैल, 2015 तक कर देने की एक सरकारी घोषणा थी, जो दिनांक– 16.08.2015 तक भी पुरा नहीं हो पाया है;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि हेतु तिथि निर्धारण संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। सहियाओं के मानदेय में वृद्धि का मामला स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त विषय पर समुचित कार्रवाई की मंशा रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को दिये जाने वाले अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि के विषय पर सरकार गंभीर है। मानदेय वृद्धि में बढ़ोत्तरी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – म० स0/तारा0 प्र0 – 437/2015– 1914 राँची, दिनांक 26/08/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2394/वि० स० दिनांक – 21.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/15

(शिवजी चौपाल)
सरकार के अपर सचिव।

(182)

श्री राजकुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–19 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री राजकुमार यादव, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत प्रखण्ड–जमुआ, धनवार, गावां, तिसरी में अक्सर लोड शेडिंग होते रहता है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्डों को लोड शेडिंग के कारण 6 से 8 घंटे ही बिजली मिलती है;	स्वीकारात्मक है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोडरमा स्थित DVC ग्रिड से डोमचांच विद्युत शक्ति उपकेन्द्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं डोमचांच विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से राजधनवार इत्यादि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस फीडर में बिजली की आपूर्ति कम होने से लोड शेडिंग की जाती है।
3. क्या यह बात सही है कि अनियमित बिजली के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनियमित बिजली वितरण के कठिनाईयों से निजात के लिए धनवार में पावर ग्रिड स्थापने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में गिरिडीह जिला अन्तर्गत प्रखण्ड जमुआ, धनवार, गावां, तिसरी में DVC के द्वारा उपलब्ध बिजली की आपूर्ति की जाती है। झा०ऊ०सं०निःलि० के द्वारा गिरिडीह में 220/132/33 KV ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है तथा निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है। कार्यादेश निर्गत होने के 18 (अठारह) महीनों में ग्रिड का निर्माण हो सकेगा। जिससे उपरोक्त प्रखण्डों को मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त झा०ऊ०सं०निःलि० द्वारा गिरिडीह जिले के सरिया एवं जमुआ में 132/33 KV ग्रिड निर्माण का प्रस्ताव भी है। फिलहाल निगम के द्वारा धनवार प्रखण्ड में ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण की योजना नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2199 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/08/15
सरकार के उप सचिव

(183)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०– 02 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री बिरंची नारायण
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक जिले में माप तौल विभाग कार्यरत है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला के अलावा बरही, बेरमो एवं घाटशिला अनुमण्डल में भी माप तौल विभाग का कार्यालय है।
(2) क्या यह बात सही है कि माप तौल विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों की मनमानी व अवैध वसुली से व्यवसायी व छोटे दुकानदार प्रताड़ित होते है, एवं राज्य को भारी राजस्व की हानि होती है;	अस्वीकारात्मक। माप तौल विभाग में कार्यरत निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान झारखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2011 के नियम 17 के अनुसूची IX में बाट या माप के सत्यापन/स्टाम्पन के लिए निर्धारित फीस के अनुरूप ही राजस्व संकलित करता है तथा इस संकलित राजस्व को सरकारी खजाने में समुचित लेखा शीर्ष यथा 1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 00 तौल माप इत्यादि का मुहरांकन शुल्क 106 माप तौल अधिनियम का प्रशासन में जमा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 5,75,00,000 (पाँच करोड़ पचहत्तर लाख) के विरूद्ध कुल 7,88,91,553 (सात करोड़ अठासी लाख एकानबे हजार पाँच सौ तिरपन) रूपया संकलित किया गया था जिसे सरकारी खजाने के समुचित लेखा शीर्ष में जमा कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के माह जुलाई तक कुल 3,61,13,066 (तीन करोड़ एकसठ लाख तेरह हजार छियासठ) रूपया संकलित कर ली गयी है जिसमें से 3,49,58,719 (तीन करोड़ उनचास लाख अन्ठावन हजार सात सौ उनीस) रूपया सरकारी खजाने में जमा किया जा चुका है।
(4) यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत कैंप लगाकर कांटा–बांट की जाँच कराने का विचार रखती है हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	निरीक्षक विधिक माप विज्ञान प्रत्येक सत्यापित बाट एवं माप पर स्टाम्पन का वर्ष और उस वर्ष का तिमाही भी चिन्हांकित करता है। जिन व्यापारियों के कांटा–बाट का स्टाम्पन जिस तिमाही में होता है उसी तिमाही में उस कांटा–बाट को जाँच कर नियमानुसार सत्यापन/स्टाम्पन किया जाता है।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 68/2015 4258 /राँची, दिनांक 26.08.15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2166, वि०स०, दिनांक 17.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.8.15

(उपेन्द्र नारायण उराँव),
सरकार के अपर सचिव।

(184)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०– 01 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्रीमती मेनका सरदार
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी सिंहभूम अन्तर्गत प्रखण्ड पोटका में 115 जन वितरण प्रणाली के दुकान एवं महिला समुह तथा 18 हॉकरों को प्रतिमाह 1,28000 लीटर किरासन तेल एवं 18000 लीटर हॉकरों के लिए आवंटित है;	पोटका प्रखण्ड में कुल 119 जन वितरण प्रणाली दुकान एवं महिला समूह तथा 18 हॉकरों के बीच प्रतिमाह किरासन तेल उपावंटन का वितरण किया जाता है जिसकी वित्तीय वर्ष 2015–16 में मासिक आवंटन चार्ट निम्न रूप से दी गई है :– माह – उपावंटन अप्रैल 2015 – 149000 लीटर मई 2015 – 151000 लीटर जून 2015 – 158000 लीटर जुलाई 2015 – 145000 लीटर अगस्त 2015 – 155000 लीटर
(2) क्या यह बात सही है कि "कजारिया ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर" द्वारा डोर टू डोर डिलीवरी प्रणाली के तहत क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के द्वारा दुकान तक तेल का वितरण करना है, परन्तु डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा टैंकर से किरासन तेल का वितरण दुकान तक नहीं किया जाता और पूरे पोटक क्षेत्र में कुछ Point जैसे रसुनचोपा, हल्दीपोखर, बुकामडीह, भेलाईडीह, देवली थीक, पोटका कालीकापुर, तिरिलडीह, बांधडीह आदि जहाँ किरोसिन तेल का टैंकर खड़ा कर उस क्षेत्र के सारे जन वितरण दुकानदारों को ड्रम में किरासन तेल दिया जाता है;	किरासन तेल का उठाव एवं वितरण डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से नहीं किया जाता है। पोटका प्रखण्ड में किरासन तेल के थोक विक्रेता मेसर्स कजारिया ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा वितरण निम्न निर्धारित किए गए वितरण स्थलों से किया जाता है :– (1) रसुनचोपा (2) हल्दीपोखर (3) बुकामडीह (4) चाकड़ी मैदान (5) देवली मैदान (6) पोटका मैदान (7) कालिकापुर (8) कुलडीहा (9) आसनबनी (10) हाथीबिन्दा (11) पिछली (12) भिलाईडीह (13) तिरिलडीह (14) माटकु। सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता स्वयं सहायता समूह के डीलर एवं हॉकरों द्वारा सम्बद्ध निर्धारित वितरण स्थलों से मासिक आवंटन के अनुरूप किरासन तेल का उठाव किया जाता है एवं इसका वितरण अपने क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली विक्रेता, स्वयं सहायता समूह एवं हॉकरों द्वारा स्वयं ले जाकर वितरण किया जाता है।
(3) क्या यह बात सही है कि टैंकर से 200 लीटर ड्रम में 10 से 15 लीटर किरासन तेल कम दिया जाता है तथा प्रति ड्रम 80 रू० के दर से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से माड़ा वसूला जाता है;	थोक किरासन तेल विक्रेता द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों/ स्वयं सहायता समूहों/हॉकरों को किरासन तेल ड्रम में सामान्यतया प्रति ड्रम 200(दो सौ) लीटर की मात्रा में आपूर्ति की जाती है। थोक किरासन तेल विक्रेता द्वारा कम किरासन तेल की आपूर्ति तथा 80 (अस्सी) रूपया प्रति ड्रम अधिक वसूली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत जन वितरण प्रणाली दुकान/स्वयं सहायता समूह/हॉकरों द्वारा अब तक क्षेत्रीय स्तर पर जिला को प्राप्त नहीं है।

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कजारिया ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा किये जा रहे अनियमितता तथा अवैध भाड़ा वसूली बन्द करवा कर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आरोप प्राप्त होने तथा प्रथम दृष्टया आरोप पुष्टि होने पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जायेगी।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 66/2015 4194 /राँची, दिनांक 21-08-15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2092, वि०स०, दिनांक 14.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवि रंजन),
सरकार के विशेष सचिव।

(185)

श्री गणेश गंझू, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला

तारांकित प्रश्न संख्या जा०–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री गणेश गंझू, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिले के लावालौग प्रखण्ड के 53 गाँव व्याघ्र अरण्य क्षेत्र घोषित है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि इन 53 गाँवों में वन विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है जिससे वहां के नागरिक को बिजली सुविधा नहीं हो पा रही है;	वन विभाग द्वारा कोई विभागीय प्रतिबंध नहीं है, परन्तु लावालौग प्रखण्ड के 56 गाँव वन आरण्य क्षेत्र होने के कारण अपरम्परिक ऊर्जा स्रोत से JREDA द्वारा 23 एवं DVC द्वारा 33(कुल–56) गाँवों की सूची ऊर्जान्वित करने हेतु प्रस्तावित है।
3. क्या यह बात सही है कि बिजली के अभाव में विकास कार्य प्रभावित है और विद्यार्थियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार 53 गाँवों के लिए जनहित में सौर–ऊर्जा संयत्र स्थापित कराने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। लावालौग में 23 गाँवों को अपरम्परिक ऊर्जा स्रोत से जेडा द्वारा एवं 33 गाँवों को डी0वी0सी0 द्वारा (कुल 56) गाँवों की सूची ऊर्जान्वित करने हेतु प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2195 /

दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

186

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृस–04 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्नकर्ता	उत्तर
श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री रणधीर कुमार सिंह, मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः–

क्र०	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
1.	क्या यह बात सही है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना का प्रीमियम भुगतान किसानों के अलावा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार बराबर–बराबर भरती है जबकि राष्ट्रीय कृषि बीमा की प्रीमियम राशि सिर्फ किसानों से वसूली जाती है।	आंशिक स्वीकारात्मक। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान किसानों के अलावा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार बराबर–बराबर भरती है, जबकि राष्ट्रीय कृषि बीमा की प्रीमियम राशि में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कुल प्रीमियम का 10% राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा बराबर–बराबर भरा जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 में भदई एवं अगहनी के लिए बीमा प्रीमियम की राशि 8,31,645 रूपये, 2012 में भदई एवं अगहनी के लिए बीमा प्रीमियम राशि 24,80,335 रूपये, 2013 में भदई एवं अगहनी के लिए बीमा प्रीमियम राशि 25,45,146 रूपये एवं 2014 में भदई एवं अगहनी के लिए बीमा प्रीमियम राशि 28,22,159 रूपये बीमा प्रीमियम के रूप में जमा हुआ।	अस्वीकारात्मक। राज्य स्तर पर वर्ष 2011 में भदई एवं अगहनी के लिए बीमा प्रीमियम की राशि मो0 64870042.26 रूपये (छः करोड़ अड़तालीस लाख सत्तर हजार बयालीस रूपये छब्बीस पैसे), 2012 में भदई एवं अगहनी के लिए बीमा प्रीमियम की राशि मो0–159705002.77 रूपये (पन्द्रह करोड़ सनतान्वे लाख पाँच हजार दो रूपये सतहत्तर पैसे), 2013 में भदई एवं अगहनी के लिए बीमा प्रीमियम की राशि मो0–147328729.05 रूपये (चौदह करोड़ तिहत्तर लाख अठाईस हजार सात सौ उन्तीस रूपये पाँच पैसे), 2014 में भदई एवं अगहनी के लिए बीमा प्रीमियम की राशि 204172608.72 रूपये (बीस करोड़ इकतालीस लाख बहत्तर हजार छः सौ आठ रूपये बहत्तर पैसे) बीमा प्रीमियम के रूप में जमा हुआ।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित वर्षों में वर्षा के आभाव में किसानों के फसल मारे जाने के बावजूद किसी भी वर्ष फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिला।	अस्वीकारात्मक। उपरोक्त वर्णित वर्षों में वर्ष 2011 में मो0–1746123.14 रूपये (सत्रह लाख छियालीस हजार एक सौ तैईस रूपये चौदह पैसे), 2012 में मो0–102635218.63 रूपये (दस करोड़ छब्बीस लाख पैंतीस हजार दो सौ अठारह रूपये तिरसठ पैसे), 2013 में मो0–8,96,24318.24 रूपये (आठ करोड़ छियानये लाख चौबीस हजार तीन सौ अठारह रूपये चौबिस पैसे) क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को भुगतान किया जा चुका है शेष राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकर बीमा कम्पनी के टर्म एण्ड कंडिशन के अनुरूप क्षति हुए फसल के लिए बीमा राशि का भुगतान कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार बीमा कम्पनी के टर्म एण्ड कण्डीशन के अनुरूप क्षति हुए फसल के लिए शेष भुगतेय बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित करायेगी।

26/08/15

(मनीषा जोसेफ तिग्गा)
सरकार के उप सचिव।

2392
26/8/15

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–7/फसल बीमा (विधायी)–11/2015 सह0 2392 /राँची, दिनांक– 26/08/15

प्रतिलिपि:–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या 2175 दिनांक 17.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/15
(मनीषा जोसेफ तिग्गा)
सरकार के उप सचिव।

(187)

श्री ले.ला मराण्डी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–08 की उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रखण्ड बोरियो तालझारी, मण्डरो तथा बोआरीजोर मेसो परियोजना क्षेत्र/ITDA साहेबगंज के अन्तर्गत आता है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त चारों प्रखण्ड के लिए मेसो परियोजना/ITDA साहेबगंज को विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में प्राप्त लक्ष्य एवं आवंटन के विरुद्ध ली गई राशि असमायोजित है जो वित्तीय अनियमित्ता को दर्शाता है;	उक्त चारों प्रखण्डों में वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में कुल भुगतान की गई राशि 864.56 लाख रुपये में 713.455 लाख का समायोजन किया गया है तथा शेष 151.13 लाख रुपये असमायोजित है जिसके समायोजन हेतु संबंधित एजेंसी को नोटिस निर्गत कर समायोजन की कार्रवाई की जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग में कुल सृजित पद के 50 प्रतिशत से कम ही कर्मचारी कार्यरत हैं जिसके कारण, जन कल्याण में योजनाओं का सफल संचालन नहीं हो पाता है;	कुल सृजित पद– 1876 के विरुद्ध कुल कार्यरत बल– 772 है, परंतु योजनाओं के सफल संचालन का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 की जाँच कराते हुए दोषियों पर समुचित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	असमायोजित राशि के समायोजन हेतु संबंधित एजेंसी को नोटिस निर्गत किया गया है। योजनाओं की जाँच हेतु विभाग के पत्रांक–2505 दिनांक–13.08.15 द्वारा निदेश दिया गया है कि उपायुक्त जाँच दल गठित कर योजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों में समर्पित करेंगे एवं जाँच में दोषी पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–05/वि0स0ता0प्र0–22/15–क– 2664 रॉंची, दिनांक:– 24/8/15

प्रतिलिपिः– उवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या–2279 दिनांक 19.08.15 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8/15

(शुभा अखौरी)
सरकार के उप सचिव

D:\2013-14\Rajesh\S.M.Singh\Vidhan sabha Question.doc

(186)

श्री साधु चरण महतो, स०वि०स० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या ज०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक– 19/10–11 प्र०स०, दिनांक 14.10.2010 द्वारा स्वर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना का पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 6613.14 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार परियोजना का कार्य किया जा रहा है, लेकिन विस्थापितों को मुआवजा भुगतान तदनुरूप नहीं हो रहा है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना का वर्ष 2010 में पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 6613.14 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार परियोजना का कार्य किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि ग्राम–लेटेमदा, घुनघुड़िया, बांदू, हेवेन आदि कई ग्राम के भू–अर्जन की साधारण प्रक्रिया वर्ष 1988–89 में प्रारम्भ हुई, जिसका वर्ष 1991 में घोषित पंचाट के बावजूद मुआवजा भुगतान नहीं हुआ तथा आज भू–धारियों को वर्ष 1991 में घोषित पंचाट के अनुसार उक्त वर्ष के दर के अनुरूप भुगतान की बातें कही जा रही है, जबकि भूमि का दर प्रत्येक पंचांग वर्ष में निर्धारित होता है,	प्रश्नगत चारो ग्रामों में पंचाट की घोषित राशि रू० 6,16,35,762.37 मात्र के विरूद्ध रू० 6,10,19,331.19 मात्र का भुगतान चेक के माध्यम से किया जा चुका है। रू० 4,14,589.19 मात्र का भुगतान आर०डी० के माध्यम से किया जा चुका है। मात्र राशि रू० 2,01,841.99 का भुगतान जमीन के विवादित होने एवं जमीन का अभिलेख भू–स्वामी द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के कारण नहीं किया जा सका है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार परियोजना के विस्थापितों को खण्ड–1 में स्वीकृत प्रशासनिक स्वीकृति के वर्ष 2010 को मानक तिथि के आधार पर मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना के प्राक्कलन में भू–अर्जन तथा पुनर्वास हेतु एक lump sum राशि का प्रावधान किया जाता है। प्रत्येक परियोजना प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित भू–अर्जन अधिनियम तथा अधिसूचित पुनर्वास नीति में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–87/2015 – 4605 /राँची, दिनांक 26.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2288 वि०स० दिनांक 19.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, चाडिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(189)

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–25 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती गीता कोड़ा, माननीया स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, चाईबासा प्रखण्ड के जगन्नाथपुर प्रखण्ड अंतर्गत कुआपाड़ा, मुंडुई प्रधान टोली, मुंडुई महतो टोली, कादोकोड़ा ऊपर टोली, पुटगाव, तुरली नीचे टोली, मुमुरिया जहीरा टोला, गुमुरिया टोकलासाई टोला, लक्खीपाई ऊपर टोला, लक्खीपाई करंजिया टोला, गुनापहाड़ी, कुकुरभुका, गोविन्दपुर, बरहा तथा नोवामुण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत कदाजामदा, जामजुई, जोजाकुबीर, कंठोरिया, टाटीबा, बरायबुरू गाँवों में दो वर्षों के बाद भी विद्युतीकरण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य संपोषित योजना (1291) के अन्तर्गत प्रखण्ड–जगन्नाथपुर अंतर्गत ग्राम–पुटगाँव एवं प्रखण्ड–नोवामुण्डी अंतर्गत ग्राम–टाटीया, ग्राम–बरायबुरू का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य हेतु संवेदक को विद्युत कार्य के विपत्र के विरूद्ध विपत्र के अनुसार राशि का भुगतान किया जा चुका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। खण्ड–1 में वर्णित ग्रामों के विद्युतीकरण कार्य के विपत्र के सापेक्ष में संवेदक को विपत्र का भुगतान किया गया है। अन्य अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युत कार्य के विपत्र के सापेक्ष में कोई भुगतान नहीं किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित गाँवों के विद्युतीकरण को कब तक पूर्ण कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?	अविद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत करने का कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2015 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2218 / दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.15

सरकार के उप सचिव

(190)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–03 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री जगरनाथ महतो,माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत दुग्दा से लाहरबेड़ा तक 11 के०वी०ए० लाईन में पोल एवं तार जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्र में पोल–तार जर्जर रहने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दुग्दा से लाहरबेड़ा तक पोल–तार बदलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नान्तर्गत विषय में वर्णित दुग्धा से लाहरबेड़ा तक का प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है। विद्युत सामग्री की उपलब्धता होते ही एक माह के अन्दर कार्य को पूरा कर दिये जाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2222 / दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.15
सरकार के उप सचिव

(191)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज–20 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के रानेश्वर प्रखण्ड अन्तर्गत कैराबनी नहर का पक्कीकरण एवं बड़ नदी मुख्य नहर का पक्कीकरण कार्य अबतक नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि रानेश्वर प्रखण्ड अन्तर्गत उद्वह सिंचाई योजना के तहत मयुराक्षी नदी से आमजोड़ा, डुमरा, हाटजोरीया एवं शिकारीपाड़ा प्रखण्ड के ब्राहमणी नदी के तहत डाका, कजदाहा में सिंचाई पाइप लाइन की मरम्मति कार्य नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त नहर का पक्कीकरण एवं उद्वह सिंचाई योजना के तहत सिंचाई पाइप लाइन की मरम्मति कार्य नहीं होने से किसान फसलों के सिंचाई से वंचित है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नहर का पक्कीकरण कार्य एवं उद्वह सिंचाई योजना के तहत पाइप लाइन की मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	1. क्षेत्रीय संतुलन एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर कैराबनी एवं बड़ानदी जलाशय योजना के नहरों का पक्कीकरण कार्य कराया जा सकेगा। 2. उद्वह सिंचाई योजनाओं के मरम्मति का प्राक्कलन तैयार किया जारहा है। बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर मरम्मति का कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :–6 / ज0स0वि0–20–ता०–99 / 2015 4580 / राँची, दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–2361 दिनांक–20.08.2015 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख–I/जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भक्ति साधन चौरसिया) 26/8/15

माननीय स०वि०स०, श्री साधु चरण महतो के द्वारा, दिनांक-27.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृ-09 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाता:- माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

क्या मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावां जिले के चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्र के अन्तर्गत हेसालौंग, लेटेमदा, झिमड़ी एवं तिरूलडीह के आस-पास सालों भर साग-सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित जगह के आस-पास शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) के अभाव में किसान मजबूर होकर अपने साग-सब्जी को सस्ते दर पर तिरूलडीह स्टेशन, लेटेमदा स्टेशन, हेसालौंग स्टेशन एवं झिमड़ी स्टेशन से टाटा एवं राँची भेजते हैं जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थलों के आस-पास शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह योजना एम०आई०डी०एच० योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन, राँची एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राँची के द्वारा जनजातीय क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों/उद्यमियों/कृषक समूहों के लिए उपलब्ध है तथा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन सं०-पी०आर० सं०-120371 (कृषि) 2014-15 एवं पी०आर० सं०-128065 (कृषि) 2015-16 के क्रम में उक्त क्षेत्र से एक भी आवेदन प्राप्त नहीं है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। समय-समय पर इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-9/कृ०वि०स०-63/2015- 3206 कृ०, राँची, दिनांक- 22-08-15

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-2275, दिनांक-19.08.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(193)

प्रो० जय प्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–09 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता प्रो० जय प्रकाश वर्मा, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या प्रखण्ड स्तरीय विद्युत–तार, ट्रांसफार्मर के स्टोरेज व्यवस्था सरकार द्वारा करने का प्रावधान है;	अस्वीकारात्मक है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में प्रखण्ड स्तरीय विद्युत तार, ट्रांसफार्मर के स्टोरेज व्यवस्था करना चहती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विद्युत–तार, ट्रांसफार्मर आदि का भंडारण की व्यवस्था विद्युत आपूर्ति अंचल स्तर पर है। प्रखण्ड स्तर पर विद्युत तार, ट्रांसफार्मर के भंडारण व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। द्रष्टव्य है कि पूरे झारखण्ड राज्य में निम्नलिखित विद्युत केन्द्रीय भंडार में विद्युत तार, ट्रांसफार्मर आदि के भंडारण की व्यवस्था की जाती है:– 1. राँची 2. गुमला 3. जमशेदपुर 4. चाईबासा 5. हजारीबाग 6. रामगढ़ 7. कोडरमा 8. गिरिडीह 9. धनबार 10. चास 11. दुमका 12. साहिबगंज 13. देवघर 14. मेदिनीनगर 15. गढ़वा। प्रखण्ड स्तर पर होने वाले आवश्यक सामग्री यथा पोल, तार, ट्रांसफार्मर आदि की व्यवस्था सबंधित विद्युत केन्द्रीय भंडार (उपरोक्त वर्णित) से मांग एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2191 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25-08-15
सरकार के उप सचिव

(194)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला

तारांकित प्रश्न संख्या जा०–13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अरूप चटर्जी, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निरसा प्रखण्ड के बेनागोड़िया (निरसा) में एक सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित किया जा चुका है, परन्तु इस स्थान पर निर्माण कार्य आज दिनांक 13.08.2015 तक भी प्रारम्भ नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त स्थान पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	धनबाद जिला अन्तर्गत निरसा प्रखण्ड के बेनागोड़िया (निरसा) में एक सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूखण्ड चिन्हित हो चुका है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अन्तर्गत उक्त सब–स्टेशन प्रस्तावित है। दिनांक–06.08.2015 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुछ संशोधन के साथ प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत प्रस्ताव अभी अप्राप्त है। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2194 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

195

श्री राधा कृष्ण किशोर, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–क0–01 का उत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बत सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 के तहत् पीड़ित व्यक्ति को मासिक पेंशन देने का प्रावधान है ?	अस्वीकारात्मक। वास्तव में प्रावधान निम्न है :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को चार हजार पांच सौ रूपए प्रतिमास की दर से देने का प्रावधान है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतायगी कि खण्ड –1 में वर्णित प्रावधान के अर्न्तगत 01 जनवरी 2013 से लेकर जुलाई 2015 तक कुल पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा कितनी पीड़ित व्यक्तियों मासिक पेंशन का भुगतान किया गया है ?	उपरोक्त प्रावधान के अनुसार मृत्यु का एक मामला प्रतिवेदित है परन्तु पेंशन स्वीकृति जिला से प्रतिवेदित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–09/अ0नि0अ0–6/2015 3718 रॉंची, दिनांक– 26/08/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञाप सं0–2085, दिनांक–14.08.2015 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/15

(शुभा अख़ौरी)
सरकार के उप सचिव।

Vidhan Sabha Que.

(196)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 27.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०– 03 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री हरि कृष्ण सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० परिवारों को किरासन तेल मुहैया करायी जाती है, उसके मापने का लीटर डीलर द्वारा तुड़ा–मुड़ा रहता है जिससे कि किरासन तेल चार लीटर की जगह सवा तीन लीटर ही होता है;	अस्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि बी०पी०एल०, लाल कार्ड, एवं योजना के अन्तर्गत मिलने वाले परिवारों को अनाज (यथा चावल गेहूँ) आदि बाट से जोखकर (तौलकर) नहीं टीन आदि से नाप कर दिया जाता है जिसमें वजन काफी कम होता है;	अस्वीकारात्मक।
(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डीलर द्वारा लीटर तथा बाट के गोरखधंधे से निजात दिलाने एवं संबंधित डीलर पर सख्त कार्रवाई करना चाहती है हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सही वजन/माप में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए तराजू, बटखरा एवं अन्य उपकरण का वार्षिक सत्यापन माप तौल यूनिट द्वारा समय–समय पर किया जाता है। स्थानीय स्तर पर ऐसी शिकायत मिलने पर क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है। यदि विभाग को इस संदर्भ में विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है तो मामले की जाँच कराकर संबंधित के विरूद्ध विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जायेगी।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 67/2015 4193 /राँची, दिनांक 21-08-15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2165, वि०स०, दिनांक 17.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/15

(रवि रंजन),
सरकार के विशेष सचिव।

(197)

श्री राज सिन्हा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न संख्या जा०-23 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राज सिन्हा, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद एरिया विद्युत बोर्ड के क्षेत्र में 3500 ट्रांसफार्मर है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए ट्रांसफार्मर में मीटर लगाये गये थे;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि दस दिनों के पश्चात सभी मीटर काम करना बंद कर दिया है;	अस्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ट्रांसफर्मार में लगे मीटर को अविलम्ब ठीक कराने एवं दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आर.-ए.पी.डी.आर.पी. योजना के अन्तर्गत धनबाद एरिया बोर्ड के धनबाद, चिरकुन्डा, बोकारो, फुसरो एवं गोमिया शहरों में कुल 2001 अदद ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाने का लक्ष्य था जो शहरवार इस प्रकार है :- 1. धनबाद – 1107 अदद। 2. चिरकुन्डा – 151 अदद। 3. बोकारो – 478 अदद। 4. फुसरो – 188 अदद। 5. गोमिया – 77 अदद। कुल 2001 अदद ट्रांसफार्मर मीटर लगाया जा चुका है, जिनमें से कुल 404 अदद ट्रांसफार्मर मीटर तकनीकी खराबी के कारण कार्यरत नहीं है जिसे बदलने/दोषमुक्त करने का कार्य प्रगति में है और प्राथमिकता के आधार पर दोषमुक्त कर दिसम्बर 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2221 / दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/15
सरकार के उप सचिव

198

श्री दुलू महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–06 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृति प्रदान की जाती है ;	अस्वीकारात्मक। कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित आय सीमा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 2.50 लाख रु0 एवं पिछड़ी जाति के लिए 1.00 लाख रु0) के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति दी जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के सैकड़ो छात्रों की छात्रवृति,वित्तीय वर्ष 2012–13 से बकाया है;	स्वीकारात्मक ।
3	क्या यह बात सही है कि छात्रवृति लंबित होने के कारण विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों का शैक्षिणिक कार्य प्रभावित हो रहा है;	स्वीकृत आवेदनों के विरुद्ध बकाया पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के भुगतान हेतु प्रथम अनुपूरक (वित्तीय वर्ष 2015–16) के माध्यम से अतिरिक्त बजट उपबंध की मांग की गई है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार छात्रों के लंबित छात्रवृति का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कण्डिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट भी कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0प्र0(ता0)N–04/2015 2721 राँची, दिनांक:– 26/8/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2281 दिनांक–19.08.15 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/15.

(शुभा अखौरी)
सरकार के उप सचिव।

199

श्री विकास कुमार मुंडा, स० वि० स० द्वारा दिनांक–27.08.215 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–16 का उत्तर:–

क्र स	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के तमाड़ में कोल्ड स्टोरेज पूर्णरुप से बनकर तैयार है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार की एक बड़ी राशि खर्च होने के पश्चात् भी कृषकों को अबतक कोल्ड स्टोरेज की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है ;	परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण, राँची के पत्रांक–484 दिनांक–24.08.15 के अनुसार उक्त कोल्ड स्टोरेज का Handover प्राप्त कर लिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्ष 2015 में उक्त कोल्ड स्टोरेज को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कोल्ड स्टोरेज को इस वित्तीय वर्ष में चालू कराने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक : 07 / वि०स०प्र०(शीतगृह)–17 / 2015 2719 राँची, दिनांक– 26/8/15

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०– 2395 दिनांक–21.08.15 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26-8-15
(नुरुल होदा)
सरकार के उप सचिव।

D:\2013-14\Rasti\KKMajhi\Vidhan Sabha Format.doc

200

श्री विकास कुमार मुंडा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०-24 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विकास कुमार मुंडा, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के तमाड़ में 132/33 के0वी0 का पावर ग्रिड विगत दो वर्षो से निर्माणाधीन है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पावरग्रिड को जुलाई 2015 तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार माह सितम्बर 2015 तक तमाड़ पावर ग्रिड को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	पूर्व में तमाड़ में निर्माणधीन ग्रिड सब-स्टेशन को चालू करने का लक्ष्य अगस्त 2015 तक रखा गया था। ग्रिड को ऊर्जान्वित करने हेतु संचरण लाईन टावर डिजाईन निगम को PGCIL (Power Grid Corporation of India Ltd) से प्राप्त कर संवेदक को उपलब्ध कराना था परन्तु PGCIL के पास उपर्युक्त डिजाईन नहीं रहने के कारण टावर डिजाईन उपलब्ध नहीं कराया जा सका जो की कार्य विलम्ब का मुख्य कारण है। अब निगम द्वारा इस मामले को सुलझा लिया गया है तथा संवेदक को कार्य की गति तेज करने का निर्देश दिया गया है। दिसम्बर 2015 तक कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2219 / दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.15
सरकार के उप सचिव

201

श्री केदार हजरा, स0वि0स0 द्वारा चलते सत्र में दिनांक–27.08.15 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या –क–11 से संबंधित प्रश्नोत्तर सामग्रीः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को रहने के लिए हर जिले में छात्रावास का निर्माण कराया गया है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को छात्र के संख्या के अनुरूप छात्रावास नहीं रहने के कारण, पठन पाठन कार्य में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।	अस्वीकारात्मक। गिरिडीह जिलान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए विभाग द्वारा कुल चार (4) एवं अनुसूचित जाति के लिए कुल पाँच (5) छात्रावास संचालित है जबकि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए दो–दो (2–2) छात्रावास निर्माणाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह में अनुसूचित जाति के छात्रों के संख्या के अनुरूप हर प्रखण्ड में छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	विभाग द्वारा छात्रावासों का निर्माण आवश्यकता के अनुसार संबंधित जिला से प्राप्त प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन के आधार पर कराया जाता है। वर्तमान में हर प्रखण्ड में छात्रावास निर्माण कराने से संबंधित कोई योजना विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–06 / वि0 स0–11 / 2015 2648 राँची, दिनांकः– 24/8/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2282 दिनांक–19.08.2015 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.8.15

(नुरुल होदा)
सरकार के उप सचिव

D:\chandan\vidhan sabha.doc